एससीटीसी सं. 859

# अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

संबंधी

बाइसवां प्रतिवेदन

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (5) (घ) के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय " विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई।

24.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

24.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

24 मार्च 2023/ 4 चैत्र 1945 (शक)

**विषय-सूची**


पृष्ठ

समिति की संरचना..... ..... (iii)

प्राक्कथन..... ..... .(v)

अध्याय एक — प्रतिवेदन .....

अध्याय दो — सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है.....

अध्याय तीन — सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती.....

अध्याय चार — सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किये हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है .....

अध्याय पांच — सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं.....


**परिशिष्ट**


एक. — समिति की दिनांक 23.3.23 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

दो. — तीसवें प्रतिवेदन ( सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण.....

## अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2022-23) की संरचना

**डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी- सभापति**

**सदस्य –लोक सभा**

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी#
4. इंजीनियर गुमान सिंह दामोर
5. श्री अनिल फिरोजिया
6. श्री तापिर गाव
7. श्री रतन लाल कटारिया
8. कुमारी गोड्डेति माधवी
9. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री विनसेंट एच. पाला
12. श्री छेदी पासवान
13. श्री प्रिंस राज
14. श्री ए. राजा
15. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
16. श्रीमती संध्या राय
17. श्री जगन्नाथ सरकार
18. श्री अजय टम्टा
19. श्री रेबती त्रिपुरा
20. श्री कृपाल बालाजी तुमाने

**सदस्य – राज्य सभा**

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री नीरज डांगी
23. श्रीमती कान्ता कर्दम
24. श्री समीर उरांव
25. श्री अंतियुर पी. सेल्वरासू
26 श्री राम शकल
27. डा. वी. शिवादासन
28. डा. सुमेर सिंह सोलंकी
29. श्री कामाख्या प्रसाद तासा
30. श्री नबाम रेबिआ

**# श्री संतोख सिंह चौधरी का निधन 14.01.2023 को हुआ और वे समिति के सदस्य नहीं रहे।**

## सचिवालय

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री डी. आर. शेखर | - | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री पी. सी. चोल्डा | - | निदेशक |

## प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा समिति की ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (5) (घ) के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच और सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय " के बारे में समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी यह बाइसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने दिनांक 23.3.23 . को प्रारूप प्रतिवेदन को विचारोपरांत स्वीकार किया (परिशिष्ट एक)

3. इस प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है:-

एक प्रतिवेदन
दो सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
तीन सिफारिशें /टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती।
चार सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तरों को स्वीकार नहीं किया है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।
पांच सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट दो में दिया गया है।

**डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी**
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

नई दिल्ली
24 मार्च, 2023
4 चैत्र, 1945 (शक)

## अध्याय एक

## प्रतिवेदन

1.1 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 338(5)(घ) के तहत प्रस्तुत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की वार्षिक रिपोर्टों की जांच करना और केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामलों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय" विषय पर समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में है।

1.2 तीसवां प्रतिवेदन 12.02.2019 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 17 सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल थीं। इन सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और इन्हें निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:-

(i) सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क्रम सं.5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16 और 17)

(ii) सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती (क्रम सं. 4, 10 और 13)

(iii) सिफारिशें/ टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (क्रम सं. 1, 2, 3, 11 और 15)

(iv) सिफारिशें/ टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (शून्य)

1.3 अब समिति उन टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विचार करेगी, जिन्हें दोहराने या जिन पर और टिप्पणी की आवश्यकता है:-

1.4 समिति अब उन सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विचार करेगी, जिन्हें दोहराने या और टिप्पणियों की आवश्यकता है समिति को विश्वास है कि सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन को अत्यधिक महत्व दिया जाएगा। यदि किसी कारण से सिफारिशों को अक्षरश कार्यान्वित करना संभव नहीं है, तो मामले को कार्यान्वित न किए जाने के कारणों के साथ समिति को सूचित किया जाए। समिति चाहती है कि अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई टिप्पण और इस प्रतिवेदन के अध्याय- पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में की गई अंतिम कार्रवाई टिप्पण उसे तत्काल अथवा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाएं।

### सिफ़ारिश सं. 1

1.5 समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास वित्तीय शक्तियों के उपयोग के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है और इसके लिए पृथक "अनुदानों की मांगें" भी नहीं है।

इसके परिणामस्वरूप आयोग प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में समिति सरकार के विचारों से सहमत नहीं है कि हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक पृथक निकाय है पर इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग वित्तीय स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर बल दिया है कि भारत के अनुसूचित जाति के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देना आवश्यक है इसलिये अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये कुछ विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। विगत वर्षों में उत्तरवर्ती सरकारों ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये कानूनों को मजबूत बनाने पर काफी ध्यान दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनीशील मुद्दा है और इसकी तुलना अन्य मुद्दों के साथ नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर वित्तीय निर्भरता इसके प्रभावी कार्यकरण और जिन लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के इस निकाय की स्थापना की गई है उनकी प्राप्ति के मार्ग में मुख्य बाधा है। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पर्याप्त और स्पष्ट वित्तीय स्वतंत्रता और शक्तियां प्रदान की जायें ताकि आयोग अपने प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से करने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के उत्थान का अपना मुख्य कार्य बेहतर ढंग से कर सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर उनके कल्याण के लिये कार्य कर सके।

## सरकार का उत्तर

1.6 वित्त मंत्रालय ने दिनांक 6.5.2014 के का.ज्ञा. सं. 25(31)/ई-समन्व/2013 के तहत आयोग के लिए अलग से 'अनुदान मांगें' तैयार करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त न करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि इस मंत्रालय में उक्त प्रस्ताव की पहले ही जांच की जा चुकी है और इस मंत्रालय का मत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पहले ही सूचित कर दिया गया है जिसकी एक प्रति तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को 3.11.2009 को पृष्ठांकित कर दी गई थी। अ.शा. पत्र की विषयवस्तु पुनः प्रस्तुत की गई है जो इस प्रकार है:

1. इस प्रस्ताव की पहले भी जांच की गई है और इस मंत्रालय का मत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है जिसकी एक प्रति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पृष्ठांकित की गई है। मैंने इस मामले की पुनः जांच करवाई है और मैं इस मंत्रालय के मत को दोहराना चाहूंगा कि जबकि सामान्यतः प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में केवल एक अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है, लेकिन कुछ अपवाद मामलों में, जहां मंत्रालय या विभाग बड़ा होता है, अलग से अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है। यह नीति सामान्य वित्त नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है।
2. इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय या एनसीएससी का बजट परिव्यय बहुत अधिक नहीं है जिसकी वजह से एनसीएससी के लिए अलग से मांग की जाए। आप इस बात की सराहना करेंगे कि छोटे विभागों/सांविधिक निकायों आदि के लिए अलग से 'अनुदान मांग' तैयार करने से न केवल मांगों की संख्या में वृद्धि होगी अपितु इससे बजट दस्तावेजों के स्वरूप में भी बदलाव होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के दूसरे संगठन/निकाय भी ऐसी मांग करेंगे। अतः, इससे बचने की आवश्यकता है।

3. एनसीएससी का अपने भुगतान संबंधी कार्यों के लिए अलग से एक आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डीडीओ) है और यह आशा की जाती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ''अनुदान मांगों'' के माध्यम से एनसीएससी के परिव्यय का प्रावधान करने के लिए मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने से एनसीएससी की वित्तीय स्वतंत्रता का कोई प्रतिकूल अतिक्रमण होगा।

## अद्यतन उत्तर

एनसीएससी के लिए स्वतंत्र बजट के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

## समिति की टिप्पणी

**1.7 समिति इस उत्तर को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है कि वित्त मंत्रालय आयोग के लिए अलग से अनुदान मांगों के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। समिति का दृढ़ मत है कि एनसीएससी समाज के दलित वर्ग से संबंधित करोड़ों गरीब लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है और प्रभावी और सही दिशाओं में उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, इसलिए, यह आवश्यक है कि वित्त मंत्रालय इस मुद्दे की फिर से जांच करे और एनसीएससी के लिए बजटीय आवंटन का अलग से प्रावधान करे। समिति नोट करती है कि एनसीएससी को वित्तीय रूप से मजबूत करके उनकी अधिकांश समस्याओं जैसे अवसंरचना, जनशक्ति, रिक्तियों आदि का स्वतः ही समाधान हो।**

**अतः, समिति दोहराती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय और प्रभावी संपर्क स्थापित कर में एनसीएससी की वित्तीय स्वतंत्रता के लिए सभी प्रयास करे ताकि एनसीएससी को अपने कुशल कामकाज के लिए अलग 'अनुदानों की मांगें' प्रदान की जा सके।**

## सिफ़ारिश सं. 2

1.8 समिति नोट करती है कि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं पर वह इनका प्रभावी उपयोग करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसके निष्कर्ष और सिफारिशें किसी के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संबंधित एजेंसियां इसकी सिफारिशें कभी-कभी ही स्वीकार करती हैं और कभी-कभी ही उनका कार्यान्वयन करती हैं। चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देश भर में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिये प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है इसलिये इसे अनुसूचित जाति के लोगों से भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सभी संगत तथ्यों की जांच के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना निर्णय देता है जो दुर्भाग्यवश दोषी पक्ष के लिये बाध्यकारी नहीं होता और वे आसानी से छूट जाते हैं। भारी संख्या में ऐसे सिविल मामले हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा चलाये जा रहे संगठनों में काम कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को समय पर पदोन्नति जो नियमानुसार उन्हें मिलनी चाहिए थी, वरिष्ठता और अन्य लाभों तथा सुविधाओं से वंचित रखा गया और संबद्ध प्रशासनिक विभाग/अभिकरण ने किसी वैध अथवा स्पष्ट कारण दिये बिना ही उनके अनुरोधों की पूर्णतः उपेक्षा की। ऐसे उत्पीड़ित लोग न्याय की आशा में आयोग के पास आते हैं और चूंकि आयोग के पास आभासी शक्तियां हैं इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलता और उनके हितो तथा अधिकारों के संरक्षक के रूप में आयोग में उनकी निष्ठा कम हो जाती है। अतः समिति यह राय व्यक्त करने को बाध्य है कि आयोग केवल एक "नाम मात्र का निकाय" ही रहेगा जब तक इसे वास्तविक शक्तियां नहीं मिल जाती। सेवा से जुड़े मामलों और शिकायतों के समाधान हेतु आयोग की शक्तियों को परामर्शी स्वरूप के बजाय बाध्यकारी बनाने की आवश्यकता है।

इस प्रस्ताव के विरूद्ध सरकार का तर्क इस पहलू पर भी आधारित है कि आयोग के सदस्यों के पास न्यायिक जानकारी नहीं होती इसलिये सिविल न्यायालय के समान शक्तियां आयोग को नहीं दी जा सकती। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि आयोग के सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिये। नियुक्त किये जाने वाले एक तिहाई सदस्यों के पास विधायी/न्यायिक विशेषज्ञता होनी चाहिये जिससे विद्यमान नियमों और कानूनों के आलोक में उपयुक्त निर्णय देने में सुविधा होगी। जब तक आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां नहीं दी जातीं और इनके निर्णयों को सिफारिशी स्वरूप के बजाय बाध्यकारी नहीं बनाया जाता तब तक आयोग एक प्रभावी निकाय नहीं बन पायेगा और उस

प्रयोजन को पूरा नहीं कर पायेगा जिसके लिये इसका गठन किया गया है। अब तक आयोग के निर्णयों का अनुपालन नगण्य है। 99% मामलों में यह पाया गया है कि आयोग के निर्णयों का अनुपालन न किये जाने के कारण अजा के व्यथित व्यक्ति को न्याय नहीं मिला।

## सरकार का उत्तर

1.9 विधि मंत्रालय ने दिनांक 26.11.2014 की एल.डी. सं. 4833/ए/2014 के तहत निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की है:

1. आयोग को गठित करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उन सदस्यों, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण प्रताड़ित किए जाते हैं को संरक्षण प्रदान करना है। भारत के संविधान के पैरा XVI में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 334 और 342 के अंतर्गत कतिपय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आयोग का गठन सुरक्षोपायों से संबंधित ऐसे सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए किया गया है। आयोग के गठन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, जहां वे कमजोर स्थिति में होते हैं।
2. अत्याचार के खिलाफ प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए, ''अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989'' अधिनियमित किया गया है क्योंकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता जैसे मौजूदा विधान इन अत्याचारों को रोकने में अपर्याप्त पाए गए थे। 1989 के अधिनियम में विशेष विधान अधिनियमित किए गए हैं जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालयों की स्थापना करने तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम में, सख्त प्रावधान किए गए हैं उदाहरणार्थ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने से मना करना और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 360 का लाभ दोषी व्यक्तियों को देने से मना करना। आयोग की नियमावली प्रक्रिया के पैरा सं. 11.0 में, आयोग की भूमिका को एक सलाहकार के रूप में बताया गया है जो राज्य सरकार के साथ परस्पर विचार-विमर्श करने के बाद कार्य करेगा। नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग का सचिवालय अपने संबंधित विंग के माध्यम से सदस्यों को आवश्यक सहायता और सूचना प्रदान करेगा ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकें। चूंकि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य के साथ-साथ सचिव न्यायपालिका के अहर्ता-प्राप्त सदस्य नहीं होते हैं, अत: निश्चित तौर पर वे न्यायधीश के रूप में अपना कार्य करते समय विधिशास्त्र का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे और न ही वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए पात्र होंगे। आयोग के कार्य केवल अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित शिकायतों की जांच और निगरानी/पूछताछ करने तक ही सीमित हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 8(क) से (ड.) के अंतर्गत, आयोग के पास सिविल न्यायालय के तहत मामलों का विचारण करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।
3. हमारा यह दृढ़ मत है कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सभी अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय, पर्याप्त प्रभावी उपचारी उपाय उपलब्ध हैं तथा सरकारी सेवा में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अत: आयोग को उच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वर्तमान संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अनुसार यह बताया गया है कि - ''संसद द्वारा निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य

सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।'' अत:, आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने और एक-तिहाई सदस्यों की नियुक्ति विधि/न्यायिक विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों में से करने संबंधी प्रस्ताव के लिए संसद के अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। इस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

एनसीएससी को अतिरिक्त शक्तियां देने के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

## समिति की टिप्पणी

**1.10 आयोग के कामकाज को सुदृढ़ करने के लिए समिति ने इसकी शक्ति को समुचित रूप से बढ़ाने का आग्रह किया था ताकि कम से कम सेवा संबंधी मामलों में आयोग के आदेशों को बाध्यकारी बनाया जा सके और इसकी शिकायत निवारण क्षमता को प्रभावी और सार्थक बनाया जा सके। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि एनसीएससी द्वारा प्राप्त सेवा संबंधी अधिकांश शिकायतों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि आयोग द्वारा दिया गया निर्णय मौजूदा आरक्षण नीति और देश के कानून के अनुरूप है। इसलिए, समिति दोहराती है कि आयोग की शक्ति को समुचित रूप से बढ़ाया जाए और प्रशासनिक मामलों में इसे बाध्यकारी बनाया जाए ताकि अनुसूचित जाति की शिकायतों को दूर करने के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में एनसीएससी के कामकाज पर विश्वास किया जा सके।** इस प्रयोजनार्थ, जैसा कि समिति द्वारा पहले सिफारिश की गई थी, सरकार प्रचलित विधि प्रणाली के भीतर न्याय प्रदायगी को सुकर बनाने के लिए एनसीएससी के मौजूदा कानून और संरचना में उपयुक्त परिवर्तन करे।

## सिफ़ारिश सं. 3

1.11 समिति नोट करती है कि आयोग में अध्यक्ष सहित केवल पांच सदस्य होते हैं। समिति ने पाया कि सदस्यों की संख्या देश में अजा और अजजा की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिये अथवा उनके हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार आयोग प्राप्त शिकायतों में से बहुत कम संख्या में शिकायतों पर कार्रवाई करता है। हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं जिनमें से कुछ राज्यों में अजा जनसंख्या का प्रतिशत काफी अधिक है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या काफी अधिक है। समिति महसूस करती है कि आयोग में प्रत्येक राज्य से एक सदस्य होना चाहिये। तदनुसार क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर वंचित वर्गों तक त्वरित न्याय पहुंचाने के लिये जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। इससे आयोग में देश के सभी क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। दूसरे, आयोग के सहायक स्टाफ में अनुपातिक रूप से वृद्धि की जानी चाहिये ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से किये जा सकें। समिति यह भी सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय अनसुचित जाति आयोग में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के अंदर नियुक्ति की जाये।

## सरकार का उत्तर

1. 1.12 (i) एनसीएससी संविधान के अनुच्छेद 338 के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 338 (2) में यह कहा गया है कि ''संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुये, आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष

और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।'' इसलिए एनसीएससी के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

जहां तक, नए क्षेत्रीय/रीजनल कार्यालयों को खोले जाने का संबंध है, व्यय विभाग के परामर्श से जिन्होंने इस संबंध में कई प्रश्न उठाए थे, प्रस्ताव की जांच की गई थी। तदनुसार, दिनांक 13.03.2018 को अपने पत्र द्वारा तथा बाद में 03.08.2018 के अनुस्मारक के जरिए एनसीएससी से इन प्रश्नों के उत्तर भेजे जाने का अनुरोध किया था। तथापि, एनसीएससी की ओर से ऐसा कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया गया जिससे कि यह विभाग, व्यय विभाग से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ हो सके।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

एनसीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इसके अलावा, एनसीएससी ने अपने नए ज़ोनल/क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है।

## समिति की टिप्पणी

**1.13 समिति ने एनसीएससी के प्रभावी कार्यकरण को ध्यान में रखते हुए काफी लंबे समय से रिक्त पड़ी रिक्तियों को उनके तीसवें प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के तीन महीने की अवधि के भीतर भरने की पुरजोर सिफारिश की थी। चूंकि, प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के बाद काफी समय बीत चुका है, इसलिए समिति यह जानकर आश्चर्यचकित है कि एनसीएससी ने इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी है। यह समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिशों के प्रति सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के ढुलमुल रवैये को दर्शाता है। इसलिए समिति अपनी इस सिफारिश को दृढ़ता से दोहराती है कि एनसीएससी में रिक्त पड़ी रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाए ताकि अनुसूचित जातियों के मुद्दों/शिकायतों का समुचित रूप से और समय पर समाधान किया जा सके। समिति चाहती है कि उन्हें इस संबंध में एनसीएससी द्वारा उठाए गए कदमों/उपायों के बारे में बताया जाए।**

## सिफ़ारिश सं. 7

1.14 समिति की यह राय है कि अजा/अजजा के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम स्वागत योग्य कदम है। समिति यह महसूस करती है कि राज्य सरकारों को जानकारी प्रदान की जाए ताकि अत्याचार निवारण अधिनियम अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए और इसको विज्ञापित किया जाए ताकि अजा के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। समिति यह सिफारिश करती कि मंत्रालय एक पोर्टल तैयार करे जिसमें पूरे देश से अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किये गये सभी मामलों की सूची बनाई जाए। इस पोर्टल में इन मामलों को निपटाने में हुई प्रगति और इनके अंतिम परिणाम का ब्यौरा दिया जाए और इसे एनसीएससी तथा एससीएसटी के पोर्टल से भी जोड़ा जाए और इसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के साथ साझा किया जाए। राष्ट्रीय स्तर का ऐसा पोर्टल पारदर्शिता लाने तथा इस अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों के शीघ्र तथा समुचित निपटान में सहायता प्रदान कर सकता है। समिति यह चाहती है कि उसे संसद द्वारा पारित

तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा सहमति दिये गये अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसरण में सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं से अवगत कराया जाए।

## सरकार का उत्तर

1.15 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार और अपराध को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का उपबंध करने और अपराध के पीड़ितों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे 31.01.1990 को लागू किया गया। पीओए अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है और इसके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 26.01.2016 से प्रभावी हो गया है। संशोधन विस्तृत रूप से अत्याचार के विभिन्न नए अपराधों को शामिल करने से संबंधित है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, को पूर्व में निर्धारित कुछ अपराधों को पुन: परिभाषित करने तथा इनमें विस्तार करने के अलावा पीओए अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करना ताकि मामलों का त्वरित और शीघ्र निपटान किया जा सके, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति और यथा संभव, आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 माह के भीतर मामले का विचारण पूर्ण करना, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर अध्याय जोड़ना शामिल है। पीओए अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है, और धारा 18 के पश्चात धारा 18क अन्तःस्थापित की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

''18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ .....

1. किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या
2. यदि आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन प्रबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश या निर्देश के होने पर भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह 20.08.2018 से लागू है।

3.1 पीओए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) नियमावली, 1995 को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 14.04.2016 से लागू हो गई है। संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के 47 अपराधों के लिए राहत धनराशि की व्यवस्था, राहत धनराशि के भुगतान की चरणबद्धता का युक्तिकरण, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए राहत धनराशि को 85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के बीच तक बढ़ाना, सात दिवस के भीतर अनुमत राहत धनराशि का भुगतान, तफ्तीश पूरी करना और साठ दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना ताकि समय पर अभियोजन आरंभ किया जा सके तथा राज्य, जिला तथा उप-खंड स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में न्याय प्रदायगी के लिए पीड़तों और गवाहों के अधिकार तथा पात्रता के लिए योजना की आवधिक समीक्षा से संबंधित हैं।

3.2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 द्वारा पीओए नियमावली में आगे संशोधन किया गया हैं और इसे 27.06.2018 की अधिसूचना के तहत भारत का राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 377, क्रम सं.44, कॉलम (2)), तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 326ख, क्रम सं.24, कॉलम (2)), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की 25 सदस्यों की सीमा को समाप्त करना (पीओए नियमावली का नियम 16 (1)), किसी अन्य विधि के अंतर्गत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना, संपत्ति को क्षति के मामले में राहत का प्रावधान से संबंधित है।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः कार्यान्वयन करने, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने, जागरूकता पैदा करने, एक सतत प्रक्रिया के रूप में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और दोष मुक्ति में समाप्त मामलों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखता रहा है। पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली को संशोधित करने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 13.05.2016 के अ.शा. पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनो से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन का संवर्धन करें ताकि संशोधित उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित उपबंधों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करें और पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को यथा संशोधित पीओए अधिनियम एवं पीओए नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुग्राही बनाए। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 19.05.2016 के अपने अ.शा. पत्र में यह उल्लेख किया है कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस अधिनियम एवं नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण जिन विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

5. सभी मामलों की सूची बनाने, उनकी प्रगति और अंतिम निष्कर्ष तथा इसे एनसीएससी, एनसीएसटी पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार एससी, एसटी सहित एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत शामिल सभी लोगों के विरूद्ध आपराधिक अपराधों से संबंधित जवाबदेही का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। पीओए के अंतर्गत मामलों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं इस प्रकार गृह मंत्रालय को इस प्रकार के राष्ट्रीय पोर्टल को तैयार करने और इसे एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टल के साथ जोड़ने की व्यवहार्यता और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि 'पुलिस' और ''व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत राज्य का विषय है और राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी अपराधों के निवारण, पहचान, पंजीयन और जांच तथा इसके दंडीकरण के लिए प्राथमिक रूप से जवाबदेह है और इसमें एससी और एसटी के सदस्यों के विरूद्ध अपराध भी शामिल हैं।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचार और अपराध को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय का उपबंध करने और अपराध के पीड़ितों को राहत और उनके पुनर्वास के लिए तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे 31.01.1990 को लागू किया गया। पीओए अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और यह दिनांक 26.01.2016 से प्रभावी हो गया है। संशोधन विस्तृत रूप से अत्याचार के विभिन्न नए अपराधों को शामिल करने से संबंधित है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, को पूर्व में निर्धारित कुछ अपराधों को पुन: परिभाषित करने तथा इनमें विस्तार करने के अलावा पीओए अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करना ताकि मामलों का त्वरित और शीघ्र निपटान किया जा सके, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति और यथा संभव, आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 माह के भीतर मामले का विचारण पूर्ण करना, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर अध्याय जोड़ना शामिल है। पीओए अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है, और धारा 18 के पश्चात धारा 18क अन्त:स्थापित की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

''18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ .....

1. किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी; या
2. यदि आवश्यक हो, ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूर्व अन्वेषक अधिकारी को किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के किए जाने का अभियोग लगाया गया है और इस अधिनियम या संहिता के अधीन प्रबंधित प्रक्रिया से भिन्न कोई प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश के होने पर भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत का राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह 20.08.2018 से लागू है।

3.1 पीओए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) नियमावली, 1995 को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 14.04.2016 से लागू हो गई है। संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के 47 अपरोधों के लिए राहत धनराशि की व्यवस्था, राहत धनराशि के भुगतान की चरणबद्धता का युक्तिकरण, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए राहत धनराशि को 85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के बीच तक बढ़ाना, सात दिवस के भीतर अनुमत राहत धनराशि का भुगतान, तफ्तीश पूरी करना और साठ दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना ताकि समय पर अभियोजन आरंभ किया जा सके तथा राज्य, जिला तथा उप-खंड स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में न्याय प्रदायगी के लिए पीड़तों और गवाहों के अधिकार तथा पात्रता के लिए योजना की आवधिक समीक्षा से संबंधित हैं। 397993/2022/एससीडी-VI 819

3.2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 द्वारा पीओए नियमावली में आगे संशोधन किया गया है और इसे 27.06.2018 की अधिसूचना के तहत भारत का राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 377, क्रम सं.44, कॉलम (2)), तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 326ख, क्रम सं.24, कॉलम (2)), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की 25 सदस्यों की सीमा को समाप्त करना (पीओए नियमावली का नियम 16 (1)), किसी अन्य विधि के अंतर्गत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना, संपत्ति को क्षति के मामले में राहत का प्रावधान से संबंधित है।

4. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः कार्यान्वयन करने, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने, जागरूकता पैदा करने, एक सतत प्रक्रिया के रूप में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और दोष मुक्ति में समाप्त मामलों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखता रहा है। पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली को संशोधित करने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 13.05.2016 के अ.शा. पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनो से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन का संवर्धन करें ताकि संशोधित उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित उपबंधों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करें और पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को यथा संशोधित पीओए अधिनियम एवं पीओए नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुग्राही बनाए। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 19.05.2016 के अपने अ.शा. पत्र में यह उल्लेख किया है कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए

संशोधनों के कारण, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस अधिनियम एवं नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण जिन विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

5. संसदीय समिति की सिफारिश पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है ताकि एससी और एसटी के सदस्यों के विरूद्ध अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों पर नियंत्रण लगाने के उपायों और सुझावों पर प्रभावी समन्वय हो सके ओर पीसीआर अधिनियम, 1955 और एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। समिति ने अभी तक छब्बीस बैठकें आयोजित की हैं जिसमें अधिनियमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीमों के बारे में समीक्षा की गई थी। 6. सभी मामलों की सूची बनाने, उनकी प्रगति और अंतिम निष्कर्ष तथा इसे एनसीएससी, एनसीएसटी पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार एससी, एसटी सहित एससी/एसटी (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत शामिल सभी लोगों के विरूद्ध आपराधिक अपराधों से संबंधित जवाबदेही का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। पीओए के अंतर्गत मामलों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध नियंत्रण ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं इस प्रकार गृह मंत्रालय को इस प्रकार के राष्ट्रीय पोर्टल को तैयार करने और इसे एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टल के साथ जोड़ने की व्यवहार्यता और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि 'पुलिस' और ''व्यवस्था'' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत राज्य का विषय है और राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी अपराधों के निवारण, पहचान, पंजीयन और जांच तथा इसके दंडीकरण के लिए प्राथमिक रूप से जवाबदेह है और इसमें एससी और एसटी के सदस्यों के विरूद्ध अपराध भी शामिल हैं।

तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने एससी और एसटी के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) का शुभारंभ करने की पहल की है। यह शिकायत समाधान और समय पर निगरानी के लिए एक पहल है। यह एक वेब-आधारित स्वयं-सेवा पोर्टल है जिसमें शिकायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समाधान अधिकारी तक स्वत: पहुंचाने की विशेषता है।

एचएचएए संपूर्ण देश में टोल-फ्री नंबर '14566' पर उपलब्ध है। हेल्पलाईन का उद्देश्य भेदभाव की समाप्ति और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के प्रति जागरूता उत्पन्न करना है।

## समिति की टिप्पणी

**1.16 समिति नोट करती है कि समिति की सिफारिशों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध अस्पृश्यता और अत्याचार के अपराधों को रोकने और पीसीआर अधिनियम, 1955 और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पीओए) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रभावी समन्वय के लिए केन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति ने आगे नोट किया कि उक्त समिति ने अब तक छब्बीस बैठकें की हैं जिनमें अधिनियमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में योजनाओं की समीक्षा की गई है। समिति चाहती है कि उक्त समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश सहित रिपोर्ट इसके अंतिम परिणाम के साथ समिति को प्रदान की जाए। समिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार**

**के सभी मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के निर्माण और एनएससीएस और एनसीएसटी और बड़े पैमाने पर जनता से जुड़े रहने के लिए भी दोहराती है।**

## सिफ़ारिश सं. 9

1.17 समिति ने सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न सरकारी, सहायता-प्राप्त संस्थानों में पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे का व्यापक स्तर पर आकलन किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों से यह दिखाई देता है कि सरकार में उच्च पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ही निराशाजनक है। मार्च, 2013 में "भारत सरकार के वरिष्ठ पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 26वें की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के प्रस्तुत होने के समय से ही स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। समिति ने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि नौकरशाही के उच्च स्तरों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व काफी निराशाजनक था। समिति ने इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की थी कि बड़ी मुश्किल से ही अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में सचिव के पद पर था। समिति ने यह टिप्पणी की कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आरक्षण नीति को अक्षरशः कार्यान्वित करवाने में गंभीर नहीं था। समिति ने इस संबंध में संक्षेप में यह टिप्पणी की: "यद्यपि इसे संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) में नियत उपबंधों के अनुसार समर्थकारी उपबंध के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है, फिर भी इसे समर्थकारी बनाने की जिम्मेदारी डीओपीटी पर है।" समिति ने आगे यह सिफारिश की थी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को योग्यता आदि पर नियुक्ति तथा पदोन्नति सहित आरक्षण तथा पदोन्नति हेतु केंद्रीय स्तर पर एकत्रित आकड़ों का रख-रखाव करना चाहिये ताकि प्रत्येक राज्य आसानी से यह सिद्ध कर सके कि क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिला है अथवा नहीं।

## सरकार का उत्तर

1.18 डीओपीटी ने दिनांक 22.08.2019 के अपने का.ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) के तहत यह बताया है कि इस विषय की जांच की जा रही है और संबंधित कार्यालयों से जानकारी/टिप्पणियां मांगी गई हैं। केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति एवं प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का अनुरक्षण डीओपीटी द्वारा किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, समूह क के कुल 84705 पदों में से समूह क के पदों/सेवाओं में एससी एवं एसटी का प्रतिनिधित्व क्रमशः 11333 एवं 5013 है।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे किसी घटनाक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

## समिति की टिप्पणी

**1.19 समिति इस उत्तर को नोट करते हुए चिंतित है कि डीओपीटी केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व और नियुक्ति के संबंध में आंकड़े रखता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि तीन साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद विभाग समिति को मांगी गई जानकारी प्रदान करने में विफल रहा है।** मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, समूह 'क' के कुल 84705 पदों/सेवाओं में 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का

प्रतिनिधित्व क्रमशः 11333 और 5013 है। समिति यह चाहती है कि उसे समूह 'क' के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सामाजिक न्याय विभाग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नवीनतम आंकड़ों से अवगत कराया जाए।

## सिफ़ारिश सं. 11

1.20 भारत सरकार द्वारा अनुदेशों तथा कार्यकारी आदेशों के माध्यम से तथा न कि विधान के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षणों का उपबंध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय दवारा बनाई गई आरक्षण संबंधी योजना मूलतः भारत सरकार के अंतर्गत सेवाओं पर मान्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उद्यमों के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण क्रमशः वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये पृथक अनुदेशों द्वारा शासित होते हैं। यहां पर अनेक अन्य संस्थापन हैं जो या तो सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक है जहां कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से आरक्षण दिया जाता है।

देश में अनुसूचित जातियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के साथ संविधान में ये सभी प्रावधान किये गये हैं। स्वतंत्र भारत के 71 वर्षों का इतिहास तथा इसकी प्रगति से यह सिद्ध होता है कि इन प्रावधानों से सरकारी संगठनों में पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। प्रावधानों के कार्यान्वयन की सीमा प्रत्येक राज्य में भिन्न है। सेवा संबंधी सुरक्षापायों तथा प्रावधानों ने देश में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह समूह जो काफी सतर्क तथा सक्रिय थे इन प्रावधानों से लाभान्वित हुए हैं। पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने हेतु सरकार के अंतर्गत पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण से संबंधित एक विधेयक पारित करने की पुरजोर तथा तत्काल आवश्यकता है ताकि नीति के कार्यान्वयन में एकरूपता लाई जा सके तथा कार्यान्वयन न करने वाले संगठनों तथा व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक उपाय किये जा सके।

विभिन्न केंद्रीय/राज्य/सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान समिति के अनुभव तथा सुनवाई के दौरान यह उजागर होता है कि विधायी उपायों जो दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उपबंध द्वारा निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं की अनुपस्थिति में आरक्षण का ईमानदारी से अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के मामले में विधान को बनाने की मांग को विभिन्न एजेंसियों द्वारा भी समय-समय पर उठाया गया है। अ.जा. और अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक 2004 आयोग की राय पर विचार किए बिना दिनांक 21.12.2004 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। आयोग ने इस संबंध में अपने विचार विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति के सभापति और राज्य सभा के समक्ष व्यक्त कर दिए हैं। इस विधेयक को पारित करने पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि आरक्षण नीति का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित संविधि के अंतर्गत आरक्षण नीति बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

## सरकार का उत्तर

1.21 डीओपीटी ने अपने दिनांक 22.08.2019 के का.ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने "इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार" नामक मामले में दिए गए अपने निर्णय में यह माना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यकारी अनुदेश कानून के अनुसार हैं।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 को राज्य सभा में दिनांक 22.12.2004 को पुरःस्थापित किया गया था। इस

विधेयक के जांच हेतु कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय मंत्रालय पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। दिनांक 29.06.2005 को स्थायी समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु तत्कालीन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह (पीओएम) गठित किया गया। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण), विधेयक, 2004 को वापस किया जाए और एक नया विधेयक जिसमें केवल अनुसूचित जातियों (एससी) एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान हो, संसद में पुरःस्थापित किया जाए।

3. तद्नुसार, दिनांक 22.12.2008 को आरक्षण विधेयक, 2004 को वापस ले लिया गया और "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008" नामक एक नया विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा दिनांक 23.12.2008 को पारित किया गया था। परंतु 14वीं लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकी और लोकसभा भंग होने के पश्चात यह विधेयक व्यपगत हो गया।

4. पदोन्नति में आरक्षण में "स्वयं प्रतिभा" की नीति सहित, एससी/एसटी के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति से संबंधित मामले अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक" में यह प्रस्ताव किया गया था कि इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों/कार्यकारी अनुदेशों को सांविधिक समर्थन मिलेगा। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला अभी लंबित होने के तथ्य के आलोक में न्यायालय में लंबित इन मामलों पर निर्णय आने तक प्रतीक्षा करना समुचित होगा ताकि दो मुख्य कार्यालय ज्ञापन यथा "पदोन्नति में आरक्षण" एवं "स्वयं प्रतिभा पदोन्नति" पर कार्यालय ज्ञापन जिसे माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था की स्थिति स्पष्ट हो सके ताकि यह विधेयक विधिक बाधाओं से मुक्त हो सके।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे किसी घटनाक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

## समिति की टिप्पणी

**1.22 समिति उत्तर से यह नोट करते हुये प्रसन्न है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में अपने निर्णय में कहा था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यकारी अनुदेशों में विधि का बल है। समिति उत्तर से यह भी नोट करती है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन जारी कार्यालय ज्ञापनों/कार्यकारी अनुदेशों के सांविधिक समर्थन के लिए 14 वीं लोकसभा में पारित नहीं किया जा सका। समिति का मानना है कि यद्यपि आरक्षण नीतियों को कार्यकारी अनुदेशों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा सकता है, जिनके पास विधि का बल है, लेकिन इनका ईमानदारी से पालन नहीं किया जा रहा है जिसके कारण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को सरकार द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए समिति दोहराती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को ठोस प्रयास करने चाहिए और इस मामले को संबंधित मंत्रालय/विभाग के साथ उठाना चाहिए ताकि आरक्षण नीति संसद द्वारा पारित कानून के तहत बनाई जा सके।**

## सिफ़ारिश सं. 13

1.23 समिति ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्त निकायों के साथ परस्पर चर्चा के दौरान बताया कि समूह ग और घ के अधिकांश पदों को निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स कर दिया गया है जहां आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जाता है। संसद को प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रतिवेदनों में समिति की स्पष्ट और पुरजोर सिफारिशे हैं कि निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किए गए कार्यों के मामले में, 'संविदा' के उपबंधों में एक खण्ड हो ताकि अ.जा. और अ.ज.जा. को निर्धारित आरक्षण मुहैया कराके उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। समिति का दृढ़ मत है कि सांविधिक उपबंधों के अभाव में, सरकार संगठन संविदात्मक/आउटसोर्सड कार्य में आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार आउटसोर्सड कार्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के समर्थन से सांविधिक समर्थन मुहैया कराए।

## सरकार का उत्तर

1.24 श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 22.03.2019 के का.ज्ञा. संख्या एस-11013/01/2019-एलडब्लूयू (ए) में कहा है कि केंद्र सरकार कामगारों को, डीओपीटी जो कि इस मामले में नोडल विभाग है, द्वारा तैयार की गई नीतियों/दिशानिर्देशों के आधार पर नियमित, अस्थाई, तदर्थ, आकस्मिक, दिहाडी, संविदा, बाह्य सेवा लेने के आधार पर काम पर रखती है। अस्थाई नियुक्तियों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर एक ऐसा ही अनुदेश हाल ही में डीओपीटी के दिनांक 15 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36036/3/2018-स्था.(आरक्षण) (अनुबंध-III) में दोहराया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ऐसी अस्थाई नियुक्तियों हेतु आरक्षण होगा जो कि 45 दिवस या इससे अधिक अवधि के लिये है।

2. यह बताया जाता है कि ठेका श्रम (विनिमयन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 में संविदा आधार पर कामगारों की नियुक्ति के लिये आरक्षण हेतु किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे किसी घटनाक्रम के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

## समिति की टिप्पणी

**1.25 समिति इस मामले को गंभीरता से लेती है कि डीओपीटी ने ओएम संख्या 36036/3/2018 स्था. (आरक्षण) दिनांक 15 मई, 2018 के माध्यम से अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर अपने एक अनुदेश को दोहराया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण होगा जो 45 दिनों या उससे अधिक अवधि तक के लिए होगा। इसके विपरीत सामाजिक न्याय मंत्रालय ने ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उल्लेख किया है जिसमें संविदा आधार पर कर्मकारों की नियुक्ति में आरक्षण के किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है। समिति ने पाया कि दो अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा अनुबंध सेवा पर आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के मुद्दे पर जारी इन दो आदेशों में विरोधाभास है। समिति का दृढ़ विचार है कि सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वयन के लिए आरक्षण नीति दिशानिर्देश तैयार करने के लिए डीओपीटी सरकार का एक नोडल विभाग है, हालांकि आश्चर्य**

**कि बात यह है कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने डीओपीटी और विधि मंत्रालय के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर परामर्श करने के बजाय समिति को ऐसा उत्तर दिया है। समिति यह चाहती है कि डीओपीटी और विधि मंत्रालय के परामर्श से इस मामले की विस्तार से जांच की जाए और समिति को उसके परिणाम से अवगत कराया जाए।**

## सिफ़ारिश सं. 15

1.26 डीओपीटी ने 5 सितम्बर, 2008 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या I-11019/6/2008 के द्वारा सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि वे एक वर्ष के भीतर अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सेवाओं के संबंध में संवर्ग समीक्षाएं करें। समिति आश्चर्यचकित है कि संवर्ग समीक्षा करने के डीओपीटी के ऐसे स्पष्ट आदेश के बावजूद, विगत 30 वर्षों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और एनसीएससी के संयुक्त संवर्ग की समीक्षा नहीं की गई है। परिणामस्वरूप एनसीएससी में कार्यरत समूह ख और ग के अधिकारियों का मनोबल पदोन्नति का कोई अवसर न होने के कारण बहुत कम रह गया है। समिति मंत्रालय के इस कृत्य की धोर भर्त्सना करती है और सिफारिश करती है कि एनसीएससी में कर्मचारी के सभी समूहों की संवर्ग समीक्षा तत्काल की जाए और उनके लिए पदोन्नति/कैरियर प्रगति के मार्ग खोले जाएं।

## सरकार का उत्तर

1.27 संयुक्त कैडर पदों की कैडर समीक्षा के संबंध में, इस विभाग के दिनांक 17.07.2018 के पत्र द्वारा एनसीएससी से आयोग के कामकाज पर एसआईयू अध्ययन किए जाने के लिए औचित्य के साथ सविस्तार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात, आज तक एनसीएससी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग द्वारा एनसीएससी में सभी पदों की कैडर समीक्षा के लिये प्रस्ताव की जांच, कार्य अध्ययन रिपोर्ट के प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

एनसीएससी ने 2018 से संयुक्त कैडर पदों की कैडर समीक्षा के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी समिति के वर्तमान पत्र के उत्तर में आयोग ने अब अपने पत्र सं एनसीएससी- एडीएम 013/2/2022-यूए-(एडमिन), दिनांक 04.10.2022 के माध्यम से कहा कि एमएसजेई और एनसीएससी के संयुक्त कैडर पदों की कैडर समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है। इस पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है।

## समिति की टिप्पणी

**1.28 समिति ने विभाग के उत्तर से नोट करती है कि एनसीएससी ने सामाजिक न्याय विभाग के दिनांक 17.7.2018 के पत्र के माध्यम से आयोग के कामकाज पर एसआईयू अध्ययन कराने के औचित्य के साथ एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था। एनसीएससी ने आज तक इसका उत्तर नहीं दिया। विभाग उक्त कार्य अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही एनसीएससी में सभी पदों की संवर्ग समीक्षा की जांच करेगा। समिति इस बात पर बल देती है कि संवर्ग समीक्षा विभिन्न बाधाओं को दूर करने, मौजूदा विकृतियों को दूर करने और संवर्ग संरचना को युक्तिसंगत बनाने का अवसर प्रदान करती है ताकि संवर्ग अधिकारियों की दक्षता और मनोबल में सुधार हो सके और इस प्रकार उन उद्देश्यों जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है की पूर्ति में सेवा की प्रभावशीलता में वृद्धि हो सके। समिति दृढ़ता से**

महसूस करती है कि यह समय की मांग है और दृढ़ता से दोहराती है कि एनसीएससी को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए और प्रस्ताव/रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और इसे मंत्रालय को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहिए।

## अध्याय- दो

## सिफारिशें/टिप्पणियां जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है

### सिफारिश सं. 5

2.1 समिति यह नोट करती है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है जो अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान देता है। मंत्रालय ने एक "पोर्टल" तैयार किया है जिसके माध्यम से वह संबंधित राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के आवेदन प्राप्त करता है। फिर भी, अनेक वास्तविक गैर-सरकारी संगठन हैं जो बहुत आवश्यक अनुदान-सहायता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। कभी-कभी, संबंधित राज्य सरकार के स्तर पर "लालफीताशाही" के कारण या कागजी कार्रवाई में अपर्याप्तता के कारण सहायता अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है। समिति यह महसूस करती है कि मंत्रालय अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल बनाए ताकि बड़ी संख्या में एनजीओ इस योजना से लाभान्वित हो सकें। साथ ही, मंत्रालय यह सुनिश्चित करे कि ये एनजीओ निधियों का उसी प्रयोजन हेतु उपयोग करें जिनके लिए ये दी गई है। इसलिए इन एनजीओ से अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय उन एनजीओ की पहचान करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण तैयार करे जो वास्तव में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए क्षेत्र स्तर पर काम कर रहे हैं और उन्हें सहायता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे किए जा रहे अच्छे कार्य को जारी रख सकें। इस संबंध में, समिति यह चाहती है कि उसे अन्य बातों के साथ-साथ गत तीन वर्षों में मंत्रालय से सहायता अनुदान लेने वाले एनजीओ के नामों के साथ-साथ विस्तृत आँकड़े प्रस्तुत किए जाए और उसे उस मानदंड के बारे में भी बताया जाए जिसके आधार पर अनुदान दिया गया है अथवा रोक दिया गया है। समिति की यह भी इच्छा है कि उसे निधियों के प्रभावी उपयोग के

बारे में मंत्रालय में उपलब्ध निगरानी तंत्र तथा निगरानी के दौरान टिप्पणियों के संबंध में शुरू किए गए अथवा किए गए सुधारात्मक उपायों के बारे में अवगत कराया जाए।

**सरकार का उत्तर**

2.2 अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक और अन्य संगठनों हेतु सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के लिए आवेदन एक वेब आधारित पोर्टल, ngograntsje.gov.in के माध्यम से प्राप्त और प्रोसेस किए जाते हैं। फिजिकल फाइल से डिजिटल प्रारूप में बदल जाने की पूरी प्रक्रिया को सरल बना दिया है।

2. उन्हें अनुदान सहायता जारी करने के लिए एनजीओ/वीओ को प्रमाणित सनदी लेखाकार के माध्यम से एक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है।

3. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले एनजीओ के कार्य निष्पादन की निम्नलिखित माध्यम से समीक्षा की जाती है:

i. जिला प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य रूप से वार्षिक निरीक्षण किया जाना;

ii. प्रत्येक वर्ष स्वैच्छिक प्रयासों के लिए बहु-अनुशासनिक राज्य स्तरीय समितियों द्वारा प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करना;

iii. अनिवार्य रूप से लेखापरीक्षित लेखों का विवरणों, वार्षिक प्रतिवेदन के साथ-साथ जारी की गई धनराशि से संबंधित किसी सनदी लेखाकार द्वारा यथा प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;

iv. एनजीओ के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निगरानी भी की जाती है;

v. अनिवार्य रूप से संगठन के पैन नंबर प्रस्तुत करने के पश्चात एनजीओ-दर्पण पोर्टल पर सभी एनजीओ/वीओएस का पंजीकरण और कम से कम तीन अधिकारियों का आधार सत्यापन।

vi. केंद्रीय मंत्रालय के दलों द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एनजीओ का औचक निरीक्षण।

4. अनुदान प्राप्तकर्त्ता एनजीओ के कामकाज को बेहतर बनाने और लाभार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुदान प्राप्तकर्त्ता एनजीओ के कार्य निष्पादन की समीक्षा किया जाना एक

सतत प्रक्रिया है। जब कभी निधियों के उपयोग के संबंध में कोई अनियमितता अथवा कोई अन्यथा घटना ध्यान में आती है, तो जीआईए को रोके जाने और/ ऐसे एनजीओ को काली सूची में डाले जाने की कार्रवाई की जाती है।

5. पिछले 3 वर्षों के दौरान संस्वीकृत किए गए सहायता अनुदान वाले वीओ/एनजीओ की सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

**सरकार का अद्यतन उत्तर**

**लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) (पहले "अजा के लिए काम करने वाले वीओ को सहायता" के रूप में जाना जाता था)**

श्रेष्ट को वर्ष 1953 से लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकार के विकास हस्तक्षेप की पहुंच को बढ़ाना और स्वैच्छिक संगठनों एवं अन्य संगठनों के प्रयासों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की कमी वाले अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले क्षेत्रों में अंतर को समाप्त करना और अनुसूचित जाति (अजा) के छात्रों के समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए माहौल प्रदान करना है।

2. यह योजना दो कार्यविधियों के तहत संचालित की जाती है। योजना की कार्यविधि- । के तहत, हर वर्ष 3000 मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों, जिनकी माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, का चयन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाता है ताकि सीबीएसई से संबद्ध शीर्ष आवासीय उच्च विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जा सके। आवासीय विद्यालयों का चयन एक समिति द्वारा उनके पिछले 6 वर्षों के कार्य-निष्पादन के आधार पर किया जाता है। चयनित अजा छात्र देश में किसी भी स्कूल का चयन कर सकते हैं और उनके रैंक और पसंद के आधार पर स्कूलों को आवंटित आवंटित किया जाता हैं।

3. कार्यविधि-II के तहत, अनुसूचित जाति के छात्रों को शिक्षा क्षेत्र से संबंधित परियोजनाओं के संचालन और अनुरक्षण के लिए एनजीओ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना में मोटे तौर पर 3 प्रकार की परियोजनाएं शामिल हैं (i) आवासीय विद्यालय (ii) गैर आवासीय विद्यालय और (iii) प्राथमिक और माध्यमिक दोनों छात्रों के लिए छात्रावास, गैर-आवासीय विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/ वीओ/एनजीओ के छात्रावासों की चल रही परियोजनाओं को इस कार्यविधि के तहत सहायता प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2021-22 से संगठनों के विद्यालयों/छात्रावासों के नवीन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता है।

4. चूंकि, इस योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों की चालू परियोजना को सहायता प्रदान की जा रही है और मंत्रालय में किसी नए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। एनजीओ संबंधित राज्य सरकार से सिफारिश के बजाय ई-अनुदान पोर्टल पर चालू परियोजना के लिए अपने आवेदन प्रस्तुत करते हैं, जो सीधे मंत्रालय में प्राप्त हुए हैं। चालू परियोजना के लिए ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का इस विभाग की परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) द्वारा निरीक्षण किया जाता है और उसके बाद प्रस्तावों को ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से ही निधि जारी करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार, चालू परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार की सिफारिश के बिना आवेदन प्राप्त करने और निधि जारी करने की प्रक्रिया को काफी सरल कर दिया गया है।

5. विभाग के पीएमयू द्वारा किए गए समय-समय पर निरीक्षणों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा योजना की परियोजनाओं के कामकाज की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। संगठन की परियोजना के लिए निधि योजना के लागत मानदंडों की सीमा के अधीन उनके लेखापरीक्षित खातों में संगठन द्वारा दिखाए गए व्यय के आधार पर जारी किया जाता है। अगले वर्ष के लिए अनुदान जारी करने से पहले संगठनों से जारी अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) भी प्राप्त किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त निधियों की सूची अनुबंध-I में संलग्न है।

## सिफारिश सं 6

2.3 समिति आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह नोट करती है कि जाली जाति प्रमाणपत्रों के मामलों की संख्या में विशेष रूप से हाल ही में वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने इस संबंध में बताया है कि जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन से संबंधित मामला राज्य स्तर का मुद्दा है। समिति सिफारिश करती है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय एक समुचित कानून अधिनियमित करने की पहल करे जिसके माध्यम से जाली जाति प्रमाण पत्र बनाना और प्रस्तुत करना दोनों संज्ञेय अपराध हो और इसके लिए भारी जुर्माना और कारावास भी शामिल है। इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दिए जाएं। साथ ही साथ जाति प्रमाण पत्रों के सत्यापन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। कई बार, उम्मीदवारों को संबंधित अधिकारियों के साथ प्रमाणपत्रों को सत्यापित करने में व्यक्तिगत रूप से मदद करने के लिए कहा जाता है। एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें यह अनिवार्य किया जाए कि ऐसे किसी भी सत्यापन को पंद्रह से तीस दिनों के भीतर पूरा किया जाए और जो अधिकारी निर्धारित प्रक्रिया में देरी करते हैं उनसे जवाब मांगा जाए। इसके अलावा, सत्यापन की प्रक्रिया किसी भी तरह से संबंधित उम्मीदवारों को उनके शामिल होने या जिस नौकरी के लिए उसे चयनित किया है, उसे लेने की प्रक्रिया में देरी से प्रभाव

नहीं पड़ना चाहिए। समिति उन मामलों की संख्या के बारे में भी जानना चाहती है जहां आधिकारिक प्राथमिकी दर्ज की गई है और जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने के लिए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। समिति को जाली जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले ऐसे कर्मचारियों की नौकरियों को तत्काल समाप्त करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसरण के बारे में भी अवगत कराया जाए।

**सरकार का उत्तर**

2.4 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जातियों की अधिसूचना के लिए नोडल एजेंसी है। हालांकि, जाति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन का विषय संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है। इस संबंध में यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कुमारी माधुरी पाटिल बनाम अपर आयुक्त, महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 02.09.1994 के अपने आदेश में भी राज्यों को सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने और सत्यापन के लिए एक प्रक्रिया की सिफारिश की है। इसके अनुपालन में राज्य सरकारों ने अनुसूचित जाति के दावों के सत्यापन के लिए समीक्षा समितियों का गठन किया है।

इसके अलावा कुछ राज्य सरकारों जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के जाति प्रमाणपत्रों को जारी करने और सत्यापन के नियमन के लिए कानून बनाए हैं। हालांकि, इस मंत्री के दिनांक 11.03.2019 के परिपत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से माननीय समिति की टिप्पणियों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के संज्ञान में लाया गया है, जिसमें उनके नियंत्रण में सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है जो सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत हैं, उन्हें इसे जारी करने से पहले उचित सावधान बरतने के लिए और यदि उनमें से कोई लापरवाही से और बिना उचित सत्यापन के प्रमाण पत्र जारी करता पाया जाता है उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से यह भी अनुरोध किया गया है कि जिन अधिकारियों को सामाजिक स्थिति प्रमाणपत्रों के सत्यापन का कार्य सौंपा गया है, उन्हें सत्यापन संबंधी निर्देश शीघ्रता से जारी करें। सत्यापन की प्रक्रिया में जानबूझकर देरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

डीओपीटी के ओ.एम.41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) दिनांक 22.08.2019 ने निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

i. डीओपीटी ने समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अजा/अजजा और अपिव से संबंधित उम्मीदवारों के दावों के सत्यापन के लिए प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अनुरोध किया है और जिलाधिकारियों/जिला कलेक्टरों/उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं कि उनके अपने स्तर पर जारी किए गए जाति प्रमाण पत्रों की सत्यता सुनिश्चित हो सके ताकि अवैध रूप से गैर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए नौकरी हासिल करने से रोका जा सके।

ii. डीओपीटी के 19.05.1993 के कार्यालय ज्ञापन के मौजूदा निर्देशों में यह उल्लेख है कि यदि यह पाया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी ने नियुक्ति सुरक्षित करने के लिए गलत जानकारी दी है या गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो उसे सेवा में नहीं रखा जाएगा। इस प्रकार जब नियुक्ति प्राधिकारी को पता चलता है कि किसी कर्मचारी ने जाली /नकली जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, तो प्रासंगिक सेवा नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे कर्मचारी को सेवा से हटाने या बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की जाती है।

iii. इन निर्देशों को डीओपीटी द्वारा पत्र संख्या 36011/1/2012-स्था. (आरक्षण), दिनांक 14.03.2016 द्वारा दोहराया गया है। इसके अलावा, अवैध गतिविधियों को हतोत्साहित करने के लिए, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से भी अनुरोध किया गया है कि वे दोषी अधिकारियों जो समय पर सत्यापन करने और जाति प्रमाण पत्र जारी करने में चूक करते हैं या जो झूठे प्रमाण पत्र जारी करते हैं, के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के लिए उचित निर्देश जारी करने पर विचार करें, ।

iv. डीओपीटी ने वर्ष 2018 में फर्जी/जाली प्रमाणपत्रों के आधार पर हुई नियुक्तियों की जानकारी एकत्र करने की कवायद की थी। दिनांक 23.02.2018 को सभी मंत्रालयों/विभागों से पुन: अनुरोध किया गया था कि वे फर्जी/नकली जाति प्रमाणपत्र के आधार पर की गई नियुक्तियों की जानकारी एकत्र करें और उस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई करे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित और अधीनस्थ कार्यालयों सहित मंत्रालयों/विभागों द्वारा जाली/नकली जाति प्रमाणपत्रों के 700 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 68 मामलों में संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा कथित तौर पर कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त/निकाल दिया गया है।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

तब से इस मामले में कोई और प्रगति नहीं हुई है। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे किसी भी गतिविधि के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

## सिफारिश सं. 7

2.5 समिति की यह राय है कि अजा/अजजा के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम स्वागत योग्य है। समिति यह महसूस करती है कि राज्य सरकारों को जानकारी प्रदान की जाए ताकि अत्याचार निवारण अधिनियम अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए और इसको विज्ञापित किया जाए ताकि अजा के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। समिति यह सिफारिश करती कि मंत्रालय एक पोर्टल तैयार करे जिसमें पूरे देश से अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किये गये सभी मामलों की सूची बनाई जाए। साथ ही इस पोर्टल में इन मामलों को निपटाने में हुई प्रगति और इनके अंतिम परिणाम का ब्योरा दिया जाए और इसे एनसीएससी तथा एससीएसटी के पोर्टल से भी जोड़ा जाए एवं इसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के साथ साझा किया जाए। राष्ट्रीय स्तर का ऐसा पोर्टल पारदर्शिता लाने तथा इस अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों के शीघ्र तथा समुचित निपटान में सहायता प्रदान कर सकता है। समिति यह चाहती है कि उसे संसद द्वारा पारित तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसरण में सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं से अवगत कराया जाए

## सरकार का उत्तर

2.6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय उपलब्ध कराने और अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे 31.01.1990 को लागू किया गया। पीओए अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 26.01.2016

से प्रभावी हो गया है। संशोधन विस्तृत रूप से अत्याचार के विभिन्न नए अपराधों को शामिल करने से संबंधित है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, को पूर्व में निर्धारित कुछ अपराधों को पुन: परिभाषित करने तथा इनमें विस्तार करने के अलावा पीओए अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करना ताकि मामलों का त्वरित और शीघ्र निपटान किया जा सके, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति और यथा संभव, आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 माह के भीतर मामले का विचारण पूर्ण करना, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर अध्याय जोड़ना शामिल है। पीओए अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है, और धारा 18 के पश्चात धारा 18क अन्तःस्थापित की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

"18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ –

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच अपेक्षित नहीं होगी; या

(ख) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है तथा इस अधिनियम अथवा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त कार्यविधि से भिन्न कोई कार्यविधि लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश के होने पर भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत का राजपत्र, असाधारण से दिनांक 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह 20.08.2018 से लागू है।

(3.1) पीओए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) नियमावली, 1995 को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 14.04.2016 से लागू हो गई है। संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के 47 अपरोधों के लिए राहत धनराशि की व्यवस्था, राहत धनराशि के भुगतान की चरणबद्धता का युक्तीकरण, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए राहत धनराशि को

85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के बीच तक बढ़ाना, सात दिवस के भीतर अनुमत राहत धनराशि का भुगतान, तफ्तीश पूरी करना और साठ दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना ताकि समय पर अभियोजन आरंभ किया जा सके तथा राज्य, जिला तथा उप-खंड स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में न्याय प्रदायगी के लिए पीड़ितों और गवाहों के अधिकार तथा पात्रता के लिए योजना की आवधिक समीक्षा से संबंधित हैं।

(3.2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 द्वारा पीओए नियमावली में आगे संशोधन किया गया है और इसे 27.06.2018 की अधिसूचना के तहत भारत का राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 377, क्रम सं.44, कॉलम (2)), तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 326ख, क्रम सं.24, कॉलम (2)), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति (एसएलवीएमसी) की 25 सदस्यों की सीमा को समाप्त करना (पीओए नियमावली का नियम 16 (1)), किसी अन्य विधि के अंतर्गत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना, संपत्ति को क्षति के मामले में राहत का प्रावधान से संबंधित है।

(4.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः कार्यान्वयन करने, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने, जागरूकता पैदा करने, एक सतत प्रक्रिया के रूप में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और दोष मुक्ति में समाप्त मामलों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखता रहा है। पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली को संशोधित करने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 13.05.2016 के अ.शा. पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनो से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन का संवर्धन करें ताकि संशोधित उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित उपबंधों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करें और पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को यथा संशोधित पीओए अधिनियम एवं पीओए नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुग्राही बनाए। सचिव, सामाजिक

न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए दिनांक 19.05.2016 के अपने अ.शा. पत्र में यह उल्लेख किया है कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस अधिनियम एवं नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण जिन विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

(5.) सभी मामलों को सूचीबद्ध करने, उनकी प्रगति, अंतिम परिणाम और इसे एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टल से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल के निर्माण के संबंध में, यह उल्लेख किया जाए कि केंद्र स्तर पर, भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार पीओए अधिनियम के तहत अजा, अजजा के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के संबंध में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी गई है। पीओए अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनआरसीबी), गृह मंत्रालय द्वारा भी तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार, गृह मंत्रालय को ऐसा राष्ट्रीय पोर्टल बनाने की व्यवहार्यता और एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टलों के साथ इसे जोड़ने पर विचार करना है, साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान के राज्य (सूची- II) के विषय हैं और राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराधों सहित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी अपराधों की रोकथाम, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

**<u>सरकार का अद्यतन उत्तर</u>**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय उपलब्ध कराने और अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे दिनांक 31.01.1990 को लागू किया गया। पीओए अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण)

संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और यह दिनांक 26.01.2016 से प्रभावी हो गया है। संशोधन विस्तृत रूप से अत्याचार के विभिन्न नए अपराधों को शामिल करने से संबंधित है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, को पूर्व में निर्धारित कुछ अपराधों को पुन: परिभाषित करने तथा इनमें विस्तार करने के अलावा पीओए अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करना ताकि मामलों का त्वरित और शीघ्र निपटान किया जा सके, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति और यथा संभव, आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 माह के भीतर मामले का विचारण पूर्ण करना, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर अध्याय जोड़ना शामिल है। पीओए अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है, और धारा 18 के पश्चात धारा 18क अन्तःस्थापित की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

"18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ— (क)किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच अपेक्षित नहीं होगी; या (ख)किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है तथा इस अधिनियम अथवा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त कार्यविधि से भिन्न कोई कार्यविधि लागू नहीं होगी। (2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश के होने पर भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत का राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 20.08.2018 से लागू है। 3.1 पीओए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) नियमावली, 1995 को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 14.04.2016 से लागू हो गई है। संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के 47 अपराधों के लिए राहत धनराशि की व्यवस्था, राहत धनराशि के भुगतान की चरणबद्धता का युक्तिकरण, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए राहत धनराशि को 85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के बीच तक बढ़ाना, सात दिवस के भीतर अनुमत राहत धनराशि का भुगतान, तफ्तीश पूरी करना और साठ दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना ताकि समय पर अभियोजन आरंभ किया जा सके तथा राज्य, जिला तथा उप-खंड स्तरीय सतर्कता और

निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में न्याय प्रदायगी के लिए पीड़तों और गवाहों के अधिकार तथा पात्रता के लिए योजना की आवधिक समीक्षा से संबंधित हैं। 397993/2022/एससीडी-VI 819 3.2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 द्वारा पीओए नियमावली में आगे संशोधन किया गया है और इसे 27.06.2018 की अधिसूचना के तहत भारत का राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 377, क्रम सं.44, कॉलम (2)), तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 326ख, क्रम सं.24, कॉलम (2)), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की 25 सदस्यों की सीमा को समाप्त करना (पीओए नियमावली का नियम 16 (1)), किसी अन्य विधि के अंतर्गत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना, संपत्ति को क्षति के मामले में राहत का प्रावधान से संबंधित है। 4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः कार्यान्वयन करने, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने, जागरूकता पैदा करने, एक सतत प्रक्रिया के रूप में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और दोष मुक्ति में समाप्त मामलों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखता रहा है। पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली को संशोधित करने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 13.05.2016 के अ.शा. पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनो से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन का संवर्धन करें ताकि संशोधित उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित उपबंधों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करें और पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को यथा संशोधित पीओए अधिनियम एवं पीओए नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुग्राही बनाए। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 19.05.2016 के अपने अ.शा. पत्र में यह उल्लेख किया है कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और इस अधिनियम एवं नियमावली में किए गए

संशोधनों के कारण जिन विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। 5. संसदीय समिति की सिफारिश पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है ताकि अजा और अजजा के सदस्यों के विरूद्ध अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों पर नियंत्रण लगाने के उपायों और सुझावों पर प्रभावी समन्वय हो सके और पीसीआर अधिनियम, 1955 और अजा/अजजा (पीओए) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। समिति ने अभी तक छब्बीस बैठकें आयोजित की हैं जिसमें अधिनियमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीमों के बारे में समीक्षा की गई थी। 6. सभी मामलों की सूची बनाने, उनकी प्रगति और अंतिम निष्कर्ष तथा इसे एनसीएससी, एनसीएसटी पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार अजा, अजजा सहित अजा/अजजा (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत शामिल सभी लोगों के विरूद्ध आपराधिक अपराधों से संबंधित जवाबदेही का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। पीओए के अंतर्गत मामलों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं इस प्रकार गृह मंत्रालय को इस प्रकार के राष्ट्रीय पोर्टल को तैयार करने और इसे एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टल के साथ जोड़ने की व्यवहार्यता और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि 'पुलिस' और "व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत राज्य का विषय है और राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी अपराधों के निवारण, पहचान, पंजीयन और जांच तथा इसके दंडीकरण के लिए प्राथमिक रूप से जवाबदेह है और इसमें एससी और एसटी के सदस्यों के विरूद्ध अपराध भी शामिल हैं। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अजा और अजजा के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) का शुभारंभ करने की पहल की है। यह शिकायत समाधान और समय पर निगरानी के लिए एक पहल है। यह एक वेब-आधारित स्वयं-सेवा पोर्टल है जिसमें शिकायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समाधान अधिकारी तक स्वत: पहुंचाने की विशेषता है। एचएचएए संपूर्ण देश में टोल-फ्री नंबर '14566' पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव की समाप्ति और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के प्रति जागरूता उत्पन्न करना है

**2.7 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.16 देखें।**

## सिफारिश सं. 8

2.8 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देश में एडब्ल्यूएससी को कार्यान्वित करने हेतु नोडल एजेंसी है। समिति ने यह सिफारिश की है कि मंत्रालय इस योजना पर ध्यान केंद्रित करे चूंकि यह अनुसूचित जातियों, जो देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा है, के लिये नोडल योजना है। समिति ने पहले अपने प्रतिवेदनों में इस पहलू के संबंध में सिफारिशें की। उदाहरण के लिये समिति ने अपने पच्चीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में यह सिफारिश की कि एससीएसपी हेतु सांविधिक समर्थन होना चाहिये ताकि योजना के गंभीर तथा प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके जैसा कि कर्नाटक तथा तेलंगाना राज्य सरकारों द्वारा किया गया है। इससे संबंधित मंत्रालय पूरी लगन से एडब्ल्यूएससी संबंधी योजना बनाने, कार्यान्वयन तथा निगरानी करने हेतु सक्षम होंगे। समिति ने यह भी सिफारिश की थी कि चूंकि अनेक मंत्रालय, नीति आयोग तथा राज्य सरकारें एडब्ल्यूएससी में शामिल हैं। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनके बीच कार्य संबंधी उपयुक्त समन्वयन हो। नीति आयोग अथवा सामाजिक न्याय मंत्रालय को सांविधिक अधिकार दिये जाये ताकि विभिन्न् स्तरों पर विलंब तथा विसंगतियों हेतु कारणों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके तथा यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाएं अपने वांछित उद्देश्य तक पहुंचे। समिति का यह मत है कि अनुसूचित जातियों के लिये परिकल्पिक अधिकांश महत्वपूर्ण योजनाएं अर्थात एडब्ल्यूएससी को अभी तक शब्दशः और भावतः कार्यान्वित नहीं किया गया है।

## सरकार का उत्तर

2.9 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को वर्ष 2017-18 से अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ आवंटन (एडब्ल्यूएससी) के अंतर्गत सभी अभिज्ञात योजनाओं की वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति की निगरानी करने का काम सौंपा गया है।

तदनुसार, विभाग ने अभिज्ञात केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के लिए उप-योजना की निगरानी के आधार पर वित्तीय, वास्तविक और तत्संबंधी परिणाम के संबंध में www.e-utthaan.gov.in ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। सभी संबंधित विभागों/मंत्रालयों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और उन्हें यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्रदान किया गया है ताकि वे वेब पोर्टल के माध्यम से अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ आवंटन के घटक के अंतर्गत प्रत्येक योजना की निगरानी पर आधारित वास्तविक एवं परिणामी सूचना प्रस्तुत कर सकें।

वास्तविक समय के आधार पर वित्तीय प्रगति की निगरानी करने के लिए, वेब पोर्टल को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकृत किया गया है और तदनुसार,

वित्तीय उपलब्धि की प्रगति की निगरानी विभाग के माननीय मंत्री (एसजेएंडई) और सचिव द्वारा नियमित अंतराल पर की जाती है।

नीति आयोग ने दिनांक 25.01.2019 को संशोधित दिशानिर्देश भी जारी किए हैं और सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया है कि वे उन योजनाओं की विशेष रूप से पहचान करें जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लाभ प्रदान करती हैं और यह सुनिश्चित करें कि आवंटन केवल उन्हीं योजनाओं को किया जाए, बजाए इसके कि सभी योजनाओं (सीएसएस और सीएस) के लिए सैद्धांतिक आवंटन किया जाए और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समावेशी विकास के लिए अभिनव प्रतिक्रियाएं अथवा नए हस्ताक्षेप/नई योजनाएं तैयार की जाएं; यदि मौजूदा योजनाओं के अंतर्गत आवंटन और/अथवा व्यय के संबंध में कोई दिक्कत हो तो नोडल मंत्रालय (सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग तथा नीति आयोग) के साथ परामर्श किया जाए।

एससीएसपी के अंतर्गत किए गए सभी मंत्रालयों/विभागों के बजट आवंटन तथा वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए वास्तविक व्यय के ब्यौरे अनुबंध-II के रूप में संलग्न हैं।

**<u>सरकार का अद्यतन उत्तर</u>**

तब से इस मामले में कोई और प्रगति नहीं हुई है।

**<u>सिफारिश सं. 9</u>**

2.10 समिति ने सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न सरकारी, सहायता-प्राप्त संस्थानों में पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे का व्यापक स्तर पर आकलन किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों से यह प्रदर्शित होता है कि सरकार में उच्च पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ही निराशाजनक है। मार्च, 2013 में "भारत सरकार के वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 26वें की गई कार्रवाई प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय से ही स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। समिति ने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि नौकरशाही के उच्च स्तरों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व काफी निराशाजनक था। समिति ने इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की थी कि बड़ी मुश्किल से ही अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में सचिव के पद पर था। समिति ने यह टिप्पणी की कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग आरक्षण नीति को अक्षरशः कार्यान्वित करवाने में गंभीर नहीं था। समिति ने इस संबंध में संक्षेप में यह टिप्पणी कीः "यद्यपि इसे संविधान के अनुच्छेद 16 (4क)

में नियत उपबंधों के अनुसार समर्थकारी उपबंध के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है, फिर भी इसे समर्थकारी बनाने की जिम्मेदारी डीओपीटी पर है।" समिति ने आगे यह सिफारिश की थी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योग्यता आदि पर नियुक्ति तथा पदोन्नति सहित आरक्षण तथा पदोन्नति हेतु केंद्रीय स्तर पर एकत्रित आकड़ों का रख-रखाव करना चाहिये ताकि प्रत्येक राज्य आसानी से यह सिद्ध कर सके कि क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिला है अथवा नहीं।

**सरकार का उत्तर**

2.11 डीओपीटी ने दिनांक 22.08.2019 के अपने का.ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था (आरईएस) के तहत यह बताया गया है कि इस विषय की जांच की जा रही है और संबंधित कार्यालयों से निविष्टियां/टिप्पणियां मांगी गई हैं। केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति एवं प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का अनुरक्षण डीओपीटी द्वारा किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, समूह क के कुल 84705 पदों में से समूह क के पदों/सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 11333 एवं 5013 है।

**सरकार का अद्यतन उत्तर**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे किसी भी गतिविधि के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

**2.12 कृपया अध्याय एक का पैरा संख्या 1.19 देखें।**

**सिफारिश सं. 12**

2.13 भारत सरकार ने अपने दिनांक 24.09.1968 के अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा अनुदेश निर्धारित किए हैं कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं पर नियुक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अस्थायी नियुक्तिया जो 45 या अधिक दिनों तक होंगी में आरक्षण होगा। एनसीएसटी ने डीओपीटी के 1968 के का.ज्ञा. का उल्लेख करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इसे दोहराया जाना चाहिए। इसलिए डीओपीटी ने 15 मई, 2018 के अपने आदेश संख्या 36036/3/2018 स्था. के द्वारा उपर्युक्त अनुदेशों को दोहराया और केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को प्रेषित किया। समिति का यह मत है कि इस कार्यालय ज्ञापन में दिए गए अनुदेशों का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गया है। 45 दिनों से अधिक वाली अस्थायी नियुक्तियों के मामले में अनुपालन स्तर का विनिश्चित करने के लिए कोई आकड़े उपलब्ध नहीं है।

अतः समिति यह सिफारिश करती है कि इन अनुदेशों को समय-समय पर सभी सरकारी विभागों को भेजा जाए ताकि उसका अनुपालन किया जा सके।

**सरकार का उत्तर**

2.14 डीओपीटी ने दिनांक 22.08.2019 के अपने का.ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) के तहत यह उल्लेख किया है कि इस विभाग द्वारा इन निर्देशों का सभी सरकारी विभागों में नियमित अंतराल पर परिचालन किया जाता है ताकि उनका अनुपालन किया जा सके। इस संबंध में नवीनतम निर्देशों को दिनांक 15.05.2018 को परिचालित किया गया था।

**सरकार द्वारा की गई अद्यतन कार्रवाई**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे किसी भी गतिविधि के बारे में कोई सूचना नहीं दी है।

**सिफारिश सं. 14**

2.15 समिति के संज्ञान में यह बात आयी है कि विगत 30 वर्षों में सामाजिक न्यायालय और अधिकारिता मंत्रालय तथा एनसीएससी के 'संयुक्त संवर्गों' के लिए कोई संवर्ग समीक्षा नहीं की गई है। इस संवर्ग में तैनात अधिकारी किसी पदोन्नति के बिना 20 से 26 वर्षों से उसी स्तर पर स्थिर हैं। एनसीएससी में डीआईजी का पद विगत 15 वर्षों से रिक्त पड़ा है क्योंकि उक्त पद को धारण करने के लिए कोई आईपीएस अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। समिति को यह पता चला है कि मंत्रालय डीआईजी के पद के साथ जुड़ी मूल सुविधाएं यथा अपेक्षित कार्यालय स्थल, वाहन और सहायक लिपिकीय स्टॉफ मुहैया नहीं कराता है। ऐसे परिदृश्य में, यह पद रिक्त ही रहेगा क्योंकि कोई अधिकारी इसे धारण करने का इच्छुक नहीं होगा।

अतः समिति यह सिफारिश करती है कि डीआईजी के पद से संबद्ध सभी सुविधाएं मंत्रालय में इसे धारित करने वाले अधिकारी को मुहैया कराई जाएं। समिति आगे यह सिफारिश करती है कि यदि केन्द्रीय सेवाओं से कोई उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो, तो सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय नियमों में यह प्रावधान करे कि निर्धारित विधिक/प्रशासनिक अर्हताएं रखने वला निर्देशक अथवा उससे ऊपर की रैंक का कोई अधिकारी उक्त पद पर या तो मंत्रालय में से या फिर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से जैसा मामला हो, नियुक्त किया जाए। अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार के लगातार बढ़ते हुए मामलों की संख्या को देखते हुए, एनसीएससी में डीआईजी स्तर का अधिकारी समय की मांग है ताकि ऐसे मामलों की जांच की जा सके और दोषी को कटघरे में लाया जा सके।

**सरकार का उत्तर**

2.16 एनसीएससी में डीआईजी के पद के लिए वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव अभी आरआर प्रभाग, डीओपीटी के पास विचाराधीन है। वर्तमान नियमों के अनुसार, यह पद केवल आईपीएस अधिकारियों द्वारा ही भरा जा सकता है। चूंकि कोई भी इच्छुक आईपीएस अधिकारी एनसीएससी में तैनाती हेतु उपलब्ध नहीं है, इसलिए आरआर मसौदे में यह प्रस्तावित किया गया है कि इस पद पर गैर-आईपीएस पुलिस कार्मिक को भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाए। एनसीएससी से अब एक प्रस्ताव मिला है जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि निदेशक रैंक (संयुक्त संवर्ग) के योग्य अधिकारी को पदोन्नति देकर इस पद को भरा जाए। पूर्व में, एनसीएससी इस बात पर जोर दे चुकी है कि केवल वही व्यक्ति डीआईजी के रूप मे तैनात किया जाए जिसके पास आपराधिक अन्वेषण/पुलिस कार्य का अनुभव हो। चूंकि, संयुक्त कैडर अधिकारी को डीआईजी के रूप में तैनात करने के लिए इस नीति में बदलाव की जरूरत होगी, अत: एनसीएससी से इस मामले में गहनता से जांच करने और अपना समेकित प्रस्ताव इस विभाग को भेजने के लिये अनुरोध किया जाए। इसके प्राप्त होने के बाद इस पर प्राथमिकता से विचार किया जाएगा।

## सरकार द्वारा की गई अद्यतन कार्रवाई

तब से एनसीएससी में डीआईजी (पी) का पद भरा गया है। सुश्री सनमीत कौर, आईपीएस (एनएल:2007) को तैनात किया गया है और उन्होंने दिनांक 26.09.2022 को एनसीएससी में डीआईजी (पी) का पदभार ग्रहण कर लिया है।

## सिफारिश संख्या 16

2.17 समिति ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग जनजाति से कई कार्यालय ज्ञापनों ओर उनके अनुस्मारकों के माध्यम से आयोग को व्यक्तिगत परिवादों की कुल संख्या और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में सूचना मांगी है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या अथवा इन मामलों में की गई कार्रवाई के संबंध में बार-बार के अनुस्मारकों के बावजूद भी किसी तरह के आंकड़े नहीं दिए है। समिति राष्ट्रीय अनसूचित जाति आयोग की ऐसे ब्यौरे देने की अनिच्छा से इन निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वहाँ प्राप्त व्यक्तिगत परिवादों के बारे में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की सिफारिशों के मामले में 'अनुपालन शून्य' है। यह बहुत ही निराशाजनक है और समिति के लिए यह चिंताजनक है क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जैसे सर्वोच्च संस्थान व्यवहारिक तौर पर एक ऐसा शक्तिहीन निकाय है जिसकी सिफारिशों की सरकारी अभिकरणों द्वारा स्वयं अनुपालना नहीं की जाती है। देश की अनुसूचित जातियां राष्ट्रीय अनूसूचित जाति आयोग की ओर एक ऐसे प्रमुख संस्थान के रूप में देखती हैं जो उनकी शिकायतों का समाधान कर देगा लेकिन वास्तविकता कुछ और है। इसलिए समिति पुनः पुरजोर सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को उपयुक्त सांविधिक शक्तियां दी जाएं जिनसे कि वह देश की अनुसूचित जातियों हेतु एक सुदृद कार्यकारी और संरक्षी निकाय बन सके।

## सरकार का उत्तर

2.18 एनसीएससी के दिनांक 20.03.2019 के पत्र संख्या 17/7/एनसीएससी / 2016 - सी. प्रकोष्ठ के अनुसार, व्यक्तिगत शिकायतों की कुल और तदनुसार उन पर की गई कार्रवाई से सम्बंधित आंकड़े इस आयोग के दिनांक 15.02.2019 के पत्र संख्या 17/7 / एनसीएससी / 2016 - सी. प्रकोष्ठ द्वारा लोक सभा को पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सुलभ संदर्भ के लिये इसकी एक प्रति संलग्न है (अनुबंध-चार)

## सरकार का अद्यतन उत्तर

वर्तमान में सरकार के विचाराधीन आयोग को अतिरिक्त सांविधिक अधिकार प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

## सिफारिश संख्या 17

2.19 समिति यह महसूस करती है कि नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी) एक ऐसा प्रमुख संस्थान है जिसके माध्यम से गरीब और कमजोर अनुसूचित जाति परिवार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। एनएसएफडीसी ने चमड़ा उद्योग, जूता और हथकरघा उद्योग को भी वित्तीय सहायता दी है। समिति यह महसूस करती है कि एनएसएफडीसी डेयरी क्षेत्रों जैसे कई अन्य क्षेत्रों, स्थानीय वृक्षों से बने हुए लघु हस्त शिल्प, कुक्कुट पालन आदि में प्रवेश कर सकता है जोकि ग्रामीण भारत का हिस्सा है और जिसे वित्तीय अनुसमर्थन की आवश्यकता है। अनुसूचित जातियों की अधिकतर आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं और कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों जैसे डेयरी, कुक्कुट, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन आदि से अपनी आजीविका अर्जित करती है। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि एनएसएफडीसी को अन्य क्षेत्रों में अपनी पहुँच बधानी चाहिए तथा ग्रामीण युवाओं हेतु बेहतर आय सृजन के लिए वित्तीय सहायता तथा कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

## सरकार का उत्तर

2.20 नेशनल शेड्यूलड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एनएसएफडीसी) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है। एनएसएफडीसी का व्यापक उद्देश्य अपनी ऋण आधारित योजनाओं के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए 3.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को ऋण के रूप में रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वित्तीय सहायता पूरे भारत में मनोनीत राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) और अन्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (सीए) के माध्यम से दी जाती है।

एनएसएफडीसी की ऋण आधारित योजनाएं आय सृजित करने वाली प्रकृति की हैं। एनएसएफडीसी द्वारा समय-समय पर इन योजनाओं को जमीनी स्तर पर मूल्यांकन किए गए लक्षित समूह की आवश्यकताओं और लाभों को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। एनएसएफडीसी तीन क्षेत्रों नामत कृषि एवं संबद्ध, परिवहन सहित उद्योग और सेवा के अंतर्गत मोटे तौर पर 50.00 लाख रुपये तक की तकनीकी रूप से व्यवहार्य और आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लक्ष्य समूह और क्षेत्र की मांग और आवश्यकता के आधार पर चैनलाइजिंग एजेंसियों द्वारा परियोजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं और एनएसएफडीसी को भेजे जाते हैं। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत, चैनलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त मांग के अनुसार,

एनएसएफडीसी डेयरी, सुअर पालन, भेड़ पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, भूमि खरीद, लघु सिंचाई, ट्रैक्टर, पावर टिलर आदि के क्षेत्र में अपनी चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्षित समूह को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जो ग्रामीण भारत का हिस्सा हैं। अब तक, एनएसएफडीसी ने कृषि और संबद्ध क्षेत्र के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए 3,13,32 लाभार्थियों के लिए 712.97 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

इसके अलावा, एनएसएफडीसी के पास रोजगारपरक कौशल प्रदान करने और प्रशिक्षण के बाद मजदूरी/स्व-रोजगार में सहायता करने के लिए एक गैर-ऋण आधारित योजना (कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम) हैं। ये कार्यक्रम सरकारी/अर्ध-सरकारी/ स्वायत्त संस्थाओं/विश्वविद्यालयों/ सम-विश्वविद्यालयों/ क्षेत्र कौशल परिषद से संबद्ध प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। सभी एनएसएफडीसी प्रायोजित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं और कौशल विकास योजनाओं के लिए सामान्य मानदंडों के अनुरूप हैं।

इस योजना के अंतर्गत, गैर-आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अनुदान के रूप में 100% पाठ्यक्रम शुल्क और 1,500/- रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु की दर से वजीफा प्रदान किया जाता है। अब तक, एनएसएफडीसी ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विभिन्न कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 1,38,798 लक्षित समूहों को प्रशिक्षित करने के लिए 176.45 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान स्वीकृत किया है।

**<u>सरकार का अद्यतन उत्तर</u>**

एनएसएफडीसी ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

## अध्याय तीन

## सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती

**<u>सिफारिश संख्या 4</u>**

3.1 आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य को उजागर किया कि देश में अनेक अल्पसंख्यक संस्थान है जो अजा तथा अजजा को आरक्षण प्रदान नहीं करते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने सरकारी तथा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने के संबंध में राष्ट्रीय अनसूचित जनजाति आयोग की सिफारिश का समर्थन किया। समिति की यह राय है कि सरकार केन्द्रीय शिक्षण संस्थान ( प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में समुचित संशोधन करे ताकि अजा/अजजा अल्पसंख्यक संस्थानों में प्रवेश में विहित आरक्षण ले सकें।

## सरकार का उत्तर

3.2 उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 22.08.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12-16/2019-यू1 द्वारा यह बताया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 (5) के उपबंधों के अनुसार, सरकार को सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों अथवा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विशेष उपबंध, कानून बनाने के लिए अधिकार दिए गए हैं, इस संबंध में अभी तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य शैक्षणिक संस्थानों में उनके दाखिले से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं।

इसके अलावा, संविधान (एक सौ तीनवां संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अनुच्छेद 15 (6) पुरः स्थापित कर दिया गया है। यह उपबंध सरकार को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष उपबंध बनाने में सरकार को समर्थ बनाता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 के अंतर्गत एक पृथक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग भी गठित कर दिया गया है।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

उच्चतर शिक्षा विभाग ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

## सिफारिश संख्या 10

3.3 भारत सरकार के अंतर्गत मंत्रालयों तथा विभागों में उच्च पदों में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व होने के मद्देनजर समिति पुरजोर ढंग से यह सिफारिश

करती है कि संविधान 117वां संशोधन विधेयक, 2012 जिसे सभा द्वारा राज्य पारित किया गया था परंतु पंद्रहवीं लोक सभा में विचार नहीं होने के कारण व्यपगत हो गया को पुनः पुरःस्थापित किया जाये तथा सामाजिक न्याय के हित में संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किया जाये।

**<u>सरकार का उत्तर</u>**

3.4 डीओपीटी द्वारा दिनांक 22.08.2019 के अपने का. ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) के तहत भारत सरकार की नौकरियों/सेवाओं में अजा/अजजा लोगों की स्थिति को सशक्त करने के लिए चार संशोधन यथा 77वां, 81वीं, 82वीं एवं 85वीं संशोधन पहले ही किए जा चुके हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19.10.2006 का एम. नागराज बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में 77वां, 81वीं, 82वीं एवं 85वीं संशोधन नामक संवैधानिक संशोधनों की वैधता के मुद्दे की व्याख्या करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में पदोन्नति में आरक्षण करने हेतु प्रावधान करने से पूर्व पिछड़ापन, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं समस्त प्रशासनिक दक्षता नामक बाध्यकारी कारणों की मौजूदगी दर्शायी जाए।

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एम. नागराज मामले में उनके द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा करने हेतु संबंधित राज्य सरकार के साथ-साथ संघ सरकार ने भी माननीय उच्चतम न्यायालय से संपर्क किया। "जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य" नामक मामले में वर्ष एसएलपी (सिविल) सं. 2011 की 30621 में मुख्य न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता में गठित पांच न्यायाधीशों की न्यायापीठ ने एम. नागराज मामले में दिए गए अपने निर्णय की समीक्षा करने के संदर्भ में एवं इस मामले को एक सांविधिक न्यायपीठ को सौंपने के लिए दिनांक 26.09.2018 को एक निर्णय पारित किया। इस निर्णय में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि नागराज मामले में दिए गए निर्णय में राज्यों द्वारा अजा एवं अजजा के पिछड़ेपन को दर्शाने हेतु पर्याप्त आंकड़ों के संग्रहण की आवश्यकता नहीं है जो इंदिरा साहनी मामले में नो न्यायाधीशों की न्यायपीठ के द्वारा दिए गए निर्णय के विपरीत है। तथापि, इसमें यह निर्णय दिया गया था कि अजा/अजजा की पदोन्नति पर विचार करते समय, इनके प्रतिनिधित्व के अपर्याप्तता के आंकड़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो संबद्ध संवर्ग से संबंधित होंगे। इसके अतरिक्त, इस प्रकार की पदोन्नति देते समय प्रशासनिक दक्षता को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

3. जरनैल सिंह एवं अन्य बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता एवं अन्य मामले में दिनांक 26.09.2018 के निर्णय के पश्चात, अब केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की नीति एम. नागराज मामले

में दिए गए निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार है। जैसा कि जरनैल सिंह मामले में दिए गए निर्णय में की गई व्याख्या/ संशोधन स्पष्ट रूप से निम्नलिखित के आलोक में हैं :-

(i) नागराज मामले में दिए गए निर्णय में यथा निर्धारित पिछड़ापन निर्धारण हेतु पर्याप्त आंकड़ो के संग्रहण करने की शर्त जिसे कार्यान्वित करना व्यवहार्य नहीं था, समाप्त कर दी गई है।

(ii) केंद्र सरकार के विभागों द्वारा अनुसरण की जाने वाली रोस्टर प्रणाली में यह सुनिश्चित किया गया है कि आरक्षण लाभ का प्रावधान करने से पूर्व दूसरी शर्त यथा प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता का अवलोकन किया जाता है। संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा रिक्तियों पर कार्य करते समय अजा एवं अजजा के हितार्थ रोस्टर बिंदुओं पर विचार करके तद्नुसार, आरक्षित अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना की जाती है। इसके बाद ही पदोन्नति की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि 15 प्रतिशत एवं 7.5 प्रतिशत तक की रिक्तियां क्रमशः अजा/अजजा के अभ्यर्थियों के द्वारा भरे जाने के लिए आरक्षित हैं। "अपनी प्रतिभा" के आधार पर पदोन्नत होने वाले अजा/अजजा को अनारक्षित रिक्तियों के स्थान पर समायोजित किया जाता है जिसे हालांकि चुनौती दी गई है। चूंकि, पदोन्नति में आरक्षण ओबीसी के लिए लागू नहीं होता, अतः किसी भी संवर्ग में आरक्षण का प्रतिशत किसी भी प्रकार से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(iii) उच्च प्रशासन में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, पदोन्नति में आरक्षण की अवधारणा में आरक्षण की अवधारणा समूह क के प्रवेश स्तर तक सीमित है। समूह क के भीतर, पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है। वार्षिक कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन, (एपीएआर) में निर्धारित बेंच मार्क, पुष्टि, पदोन्नति आदि से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए निरीक्षण है। एपीएआर निकटतम वरिष्ठ अधिकारी द्वारा रिपोर्ट किए गए कर्मचारी के वास्तविक गुणों और वर्ष-वार कार्य-निष्पादन को बताता है और सरकारी विभाग/मंत्रालय/संगठन में काम करते हुए अगले उच्च अधिकारी द्वारा उसकी समीक्षा भी की गई थी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए विचार करते समय "बेंचमार्क" को पूरा करना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि पदोन्नति देते समय प्रशासन में दक्षता के पहलू को ध्यान में रखा जाए।

अजा/अजजा के लिए "क्रीमी लेयर" की संकल्पना कभी भी प्रचलित नहीं थी और इसलिए क्रीमी लेयर की संकल्पना के विरूपण का प्रश्न नहीं उठता है।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

## सिफारिश संख्या 13

3.5 समिति ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्त निकायों के साथ परस्पर चर्चा के दौरान बताया कि समूह ग और घ के अधिकांश पदों को निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स कर दिया गया है जहां आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जाता है। संसद को प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रतिवेदनों में समिति की स्पष्ट और पुरजोर सिफारिशे हैं कि निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किए गए कार्यों के मामले में, 'संविदा' के उपबंधों में एक खण्ड हो ताकि अ.जा. और अ.ज.जा. को निर्धारित आरक्षण मुहैया करके उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। समिति का दृढ़ मत है कि सांविधिक उपबंधों के अभाव में, सरकारी संगठन संविदात्मक/आउटसोर्स किये गये कार्य में आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार आउटसोर्स किये गये कार्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के समर्थन से सांविधिक संरक्षण मुहैया कराए।

## सरकार का उत्तर

3.6 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 22.03.2019 के का.ज्ञा. संख्या एस-11013/01/2019-एलडब्ल्यू (ए) में यह कहा है कि केंद्र सरकार कामगारों को, डीओपीटी जो कि इस मामले में नोडल विभाग है, द्वारा तैयार की गई नीतियों/दिशानिर्देशों के आधार पर नियमित, अस्थाई, तदर्थ, आकस्मिक, दिहाडी, संविदा, बाह्य स्त्रोत आधारित, संविदा के आधार पर काम पर रखती है। अस्थाई नियुक्तियों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर एक ऐसा ही निर्देश हाल ही में डीओपीटी के दिनांक 15 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36036/3/2018-स्था.(आरक्षण) (अनुबंध-तीन) में दोहराया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ऐसी अस्थाई नियुक्तियों हेतु आरक्षण होगा जो कि 45 दिवस या अधिक अवधि के लिये है।

2. यह बताया जाता है कि ठेका श्रम (विनिमयन और उत्सादन) अधिनियम,1970 में संविदा आधार पर कामगारों की नियुक्ति के लिये आरक्षण हेतु किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

**3.7 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.25 देखें।**

## अध्याय चार

## सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है

## सिफारिश संख्या 1

4.1 समिति यह नोट करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पास वित्तीय शक्तियों के उपयोग के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं है और इसके लिए पृथक "अनुदानों की मांगें" भी नहीं है। इसके परिणामस्वरूप आयोग प्रभावी तरीके से अपना कार्य करने में सक्षम नहीं है। इस संबंध में समिति सरकार के विचारों से सहमत नहीं है कि हालांकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक पृथक निकाय है पर इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग वित्तीय स्वतंत्रता की आवश्यकता नहीं है। संविधान निर्माताओं ने इस बात पर बल दिया है कि भारत के अनुसूचित जाति के लोगों को समाज के अन्य वर्गों के बराबर लाने के लिए उन्हें विशेष सुविधाएं देना आवश्यक है इसलिये अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा के लिये कुछ विशिष्ट प्रावधान किये गये हैं। विगत वर्षों में अनुवर्ती सरकारों ने अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिये कानूनों को मजबूत बनाने पर काफी ध्यान दिया है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और इसकी तुलना अन्य मुद्दों के साथ नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर वित्तीय निर्भरता इसके प्रभावी कार्यकरण और जिन लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर के इस निकाय की स्थापना की गई है उनकी प्राप्ति के मार्ग में मुख्य बाधा है। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पर्याप्त और स्पष्ट वित्तीय स्वतंत्रता और शक्तियां प्रदान की जायें ताकि आयोग अपने प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से करने के साथ-साथ अनुसूचित जातियों के उत्थान का अपना मुख्य कार्य बेहतर ढंग से कर सके तथा उनकी समस्याओं का समाधान कर उनके कल्याण के लिये कार्य कर सके।

## सरकार का उत्तर

4.2 वित्त मंत्रालय ने दिनांक 6.5.2014 के का.ज्ञा. सं. 25(31)/ई-समन्वय/2013 के तहत आयोग के लिए अलग से 'अनुदानों की मांगें' तैयार करने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त न करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया है कि इस मंत्रालय में उक्त प्रस्ताव की पहले ही जांच की जा चुकी है और इस मंत्रालय का मत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को पहले ही सूचित कर दिया गया है जिसकी एक प्रति तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा तत्कालीन अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को दिनांक 03.11.2009 को पृष्ठांकित कर दी गई थी। अ.शा. पत्र में की गई टिप्पणी नीचे पुन: प्रस्तुत की जा रही है:

(क). इस प्रस्ताव की पहले भी जांच की गई है और इस मंत्रालय का मत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सूचित कर दिया गया है जिसकी एक प्रति राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को पृष्ठांकित की गई है। मैंने इस मामले की पुन: जांच करवाई है और मैं इस मंत्रालय के मत को दोहराना चाहती हूँ कि जबकि सामान्यत: प्रत्येक मंत्रालय या विभाग के संबंध में केवल एक अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है, लेकिन कुछ अपवाद मामलों में, जहां मंत्रालय या विभाग बड़ा होता है, अलग से अनुदान मांग प्रस्तुत की जाती है। यह नीति सामान्य वित्त नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप है।

(ख). इस संबंध में उल्लेखनीय है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या एनसीएससी का बजट परिव्यय बहुत अधिक नहीं है जिसकी वजह से एनसीएससी के लिए अलग से मांग की जाए। आप इस बात की सराहना करेंगे कि छोटे विभागों/सांविधिक निकायों आदि के लिए अलग से 'अनुदानों की मांगे' तैयार करने से न केवल मांगों की संख्या में वृद्धि होगी अपितु इससे बजट दस्तावेजों के स्वरूप में भी बदलाव होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार के दूसरे संगठन/निकाय भी ऐसी मांग करेंगे। अत: इससे बचने की आवश्यकता है।

(ग). एनसीएससी का अपने भुगतान संबंधी कार्यों के लिए अलग से एक आहरण तथा संवितरण अधिकारी (डीडीओ) है और यह आशा की जाती है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की "अनुदानों की मांगों" के माध्यम से एनसीएससी के परिव्यय का प्रावधान करने के लिए मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने से एनसीएससी की वित्तीय स्वतंत्रता संबंधी कोई प्रतिकूल अतिक्रमण होगा।

**<u>अद्यतन उत्तर</u>**

एनसीएससी के लिए स्वतंत्र बजट के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

## समिति की टिप्पणी

**4.3 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.7 देखें।**

## सिफारिश संख्या 2

4.4 समिति यह नोट करती है कि आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं पर वह इनका प्रभावी उपयोग करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि इसके निष्कर्ष और सिफारिशें किसी के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। आयोग के पास उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि संबंधित एजेंसियां इसकी सिफारिशें कभी-कभी ही स्वीकार करती हैं और कभी-कभी ही उनका कार्यान्वयन करती हैं। चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग देश भर में अनुसूचित जातियों के हितों की सुरक्षा करने और उनकी शिकायतों के समाधान के लिये प्रमुख राष्ट्रीय संस्था है इसलिये इसे अनुसूचित जाति के लोगों से भारी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त होती हैं। सभी संगत तथ्यों की जांच के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अपना निर्णय देता है जो दुर्भाग्यवश "दोषी पक्ष" के लिये बाध्यकारी नहीं होता और वे आसानी से छूट जाते हैं। भारी संख्या में ऐसे सिविल मामले हैं जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा चलाये जा रहे संगठनों में काम कर रहे अनुसूचित जाति के लोगों को समय पर पदोन्नति जो नियमानुसार उन्हें मिलनी चाहिए थी, वरिष्ठता और अन्य लाभों तथा सुविधाओं से वंचित रखा गया और संबद्ध प्रशासनिक विभाग/अभिकरण ने किसी वैध अथवा स्पष्ट कारण दिये बिना ही उनके अनुरोधों की पूर्णतः उपेक्षा की। ऐसे उत्पीड़ित लोग न्याय की आशा में आयोग के पास आते हैं और चूंकि आयोग के पास ऐसी शक्तियां नहीं हैं कि उनके निर्णय बाध्यकारी हों इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिलता और उनके हितो तथा अधिकारों के संरक्षक के रूप में आयोग में उनकी निष्ठा कम हो जाती है। अतः समिति यह राय व्यक्त करने के लिए बाध्य है कि आयोग मात्र एक "नामधारी निकाय" ही रहेगा जब तक इसे वास्तविक शक्तियां नहीं मिल जाती। इसलिए समिति यह सिफारिश करती है कि आयोग की शक्तियों को उपयुक्त रूप से बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम सेवा मामलों से संबंधित मामलों और आयोग द्वारा समाधान की गई शिकायतों के संबंध में इसके आदेशों को बाध्यकारी बनाया जा सके।

इस प्रस्ताव के विरूद्ध सरकार का तर्क इस पहलू पर भी आधारित है कि आयोग के सदस्यों के पास न्यायिक जानकारी नहीं होती इसलिये सिविल न्यायालय के समान शक्तियां आयोग को नहीं दी जा सकती। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि आयोग के सदस्यों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की

जानी चाहिये। नियुक्त किये जाने वाले एक तिहाई सदस्यों के पास विधायी/न्यायिक विशेषज्ञता होनी चाहिये जिससे विद्यमान नियमों और कानूनों के आलोक में उपयुक्त निर्णय देने में सुविधा होगी। जब तक आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां नहीं दी जातीं और इनके निर्णयों को सिफारिशी स्वरूप के बजाय बाध्यकारी नहीं बनाया जाता तब तक आयोग एक प्रभावी निकाय नहीं बन पायेगा और उस प्रयोजन को पूरा नहीं कर पायेगा जिसके लिये इसका गठन किया गया है। अब तक आयोग के निर्णयों का अनुपालन नगण्य है। 99% मामलों में यह पाया गया है कि आयोग के निर्णयों का "अनुपालन न किये जाने" के कारण अजा व्यक्ति को न्याय नहीं मिला।

## सरकार का उत्तर

4.5 विधि मंत्रालय ने दिनांक 26.11.2014 की अंतरविभागीय टिप्पणी सं. 4833/ए/2014 के तहत निम्नलिखित टिप्पणी करते हुए उक्त प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रकट नहीं की है:

(क). आयोग को गठित करने का उद्देश्य अनुसूचित जाति के उन सदस्यों, जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण प्रताड़ित किए जाते हैं को संरक्षण प्रदान करना है। भारत के संविधान के पैरा XVI में अनुच्छेद 330 से अनुच्छेद 334 और 342 के अंतर्गत कतिपय वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत आयोग का गठन सुरक्षोपायों से संबंधित ऐसे सभी मामलों की जांच और निगरानी करने के लिए किया गया है।आयोग के गठन का उद्देश्य अनुसूचित जाति के सदस्यों के हितों की रक्षा करना है, जहां वे कमजोर स्थिति में होते हैं।

(ख). अत्याचार के खिलाफ प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के लिए, "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989" अधिनियमित किया गया है क्योंकि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 और भारतीय दंड संहिता जैसे मौजूदा विधान इन अत्याचारों को रोकने में अपर्याप्त पाए गए थे। 1989 के अधिनियम में विशेष विधान अधिनियमित किए गए हैं जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष न्यायालयों की स्थापना करने तथा विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिनियम में, सख्त प्रावधान किए गए हैं उदाहरणार्थ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत देने से मना करना और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 360 का लाभ दोषी व्यक्तियों को देने से मना करना। आयोग की नियमावली प्रक्रिया के पैरा सं. 11.0 में, आयोग की भूमिका को एक सलाहकार के

रूप में बताया गया है जो राज्य सरकार के साथ परस्पर विचार-विमर्श करने के बाद कार्य करेगा। नियमावली में यह भी उल्लेख किया गया है कि आयोग का सचिवालय अपने संबंधित विंग के माध्यम से सदस्यों को आवश्यक सहायता और सूचना प्रदान करेगा ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी रूप से कर सकें। चूंकि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य न्यायपालिका के अहर्ता-प्राप्त सदस्य नहीं होते हैं, अत: निश्चित तौर पर वे न्यायधीश के रूप में अपना कार्य करते समय विधिशास्त्र का प्रयोग करने में असमर्थ होंगे और न ही वे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए पात्र होंगे। आयोग के कार्य केवल अधिकारों और सुरक्षोपायों के वंचन से संबंधित शिकायतों की जांच और निगरानी/पूछताछ करने तक ही सीमित हैं। संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड 8(क) से (ड.) के अंतर्गत, आयोग के पास सिविल न्यायालय के तहत मामलों का विचारण करने की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(ग). हमारा यह सुविचारित मत है कि संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत सभी अनुसूचित जातियों के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय, पर्याप्त प्रभावी उपचारी उपाय उपलब्ध हैं तथा सरकारी सेवा में एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, अत: आयोग को उच्च न्यायालय की पूर्ण शक्ति प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वर्तमान संविधान में संशोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अनुसार यह बताया गया है कि – "संसद द्वारा निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आयोग एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होगी, जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें।" अत:, आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने और एक-तिहाई सदस्यों की नियुक्ति विधि/न्यायिक विशेषज्ञता वाले व्यक्तियों में से करने संबंधी प्रस्ताव के लिए संसद के अधिनियम द्वारा संविधान में संशोधन करना आवश्यक होगा। इस पर उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

एनसीएससी को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने के संबंध में नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

## समिति की टिप्पणी

**4.6 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.10 देखें।**

## सिफारिश संख्या 3

4.7 समिति यह नोट करती है कि आयोग में अध्यक्ष सहित केवल पांच सदस्य होते हैं। समिति यह महसूस करती है सदस्यों की संख्या देश में अजा और अजजा की जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिये अथवा उनके हितों की रक्षा के लिये पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार आयोग प्राप्त शिकायतों में से बहुत कम संख्या में शिकायतों पर कार्रवाई करता है। हमारे देश में कुल 29 राज्य हैं जिनमें से कुछ राज्यों में अजा जनसंख्या का प्रतिशत काफी अधिक है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या काफी अधिक है। समिति यह महसूस करती है कि आयोग में प्रत्येक राज्य से एक सदस्य होना चाहिये। तदनुसार क्षेत्रीय/राज्य स्तर पर "वंचित वर्गों" तक त्वरित न्याय पहुंचाने के लिये जोनल/क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना किये जाने की आवश्यकता है। इससे आयोग में देश के सभी क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। दूसरे, आयोग के सहायक स्टाफ में अनुपातिक रूप से वृद्धि की जानी चाहिये ताकि प्रशासनिक कार्य सुचारू रूप से किये जा सकें। समिति यह भी पुरजोर सिफारिश करती है कि राष्ट्रीय अनसुचित जाति आयोग में लंबे समय से खाली पड़े पदों पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के तीन महीने के अंदर नियुक्ति की जाये।

## सरकार का उत्तर

4.8 (i) एनसीएससी संविधान के अनुच्छेद 338 के उपबंधों के अनुसार कार्य करता है। संविधान के अनुच्छेद 338 (2) में यह कहा गया है कि "संसद द्वारा इस संबंध में बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अध्यधीन, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य तीन सदस्यों से युक्त आयोग होगा तथा इस आयोग में नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा-शर्तें एवं कार्यकाल उसी के अनुसार होगा जैसा राष्ट्रपति द्वारा नियम निर्धारित किए जाए।" इसलिए एनसीएससी के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 338 में संशोधन किया जाना अपेक्षित होगा। ऐसा करने के लिए एक उपयुक्त समय पर विचार किया जाएगा।

(ii) जहां तक, नए क्षेत्रीय/रीजनल कार्यालयों को खोले जाने का संबंध है, व्यय विभाग के परामर्श से जिन्होंने इस संबंध में कई प्रश्न उठाए थे, प्रस्ताव की जांच की गई थी। तदनुसार, दिनांक 13.03.2018 को अपने पत्र द्वारा तथा बाद में दिनांक 03.08.2018 के अनुस्मारक के जरिए एनसीएससी से इन प्रश्नों के उत्तर भेजे जाने का अनुरोध किया था। तथापि, एनसीएससी की ओर से ऐसा कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया गया जिससे कि यह विभाग, व्यय विभाग से इस मामले को आगे बढ़ाने के लिए समर्थ हो सके।

**सरकार का अद्यतन उत्तर**

वर्तमान में सरकार के विचाराधीन एनसीएससी में सदस्यों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा, एनसीएससी ने अपने नए जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.9 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.13 देखें।**

**सिफारिश संख्या 7**

4.10 समिति की यह राय है कि अजा/अजजा के लोगों पर अत्याचार रोकने के लिए सरकार द्वारा अत्याचार निवारण अधिनियम स्वागत योग्य है। समिति यह महसूस करती है कि राज्य सरकारों को जानकारी प्रदान की जाए ताकि अत्याचार निवारण अधिनियम अक्षरशः कार्यान्वित किया जाए और इसको विज्ञापित किया जाए ताकि अजा के लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता चल सके। समिति यह सिफारिश करती कि मंत्रालय एक पोर्टल तैयार करे जिसमें पूरे देश से अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किये गये सभी मामलों की सूची बनाई जाए। साथ ही इस पोर्टल में इन मामलों को निपटाने में हुई प्रगति और इनके अंतिम परिणाम का ब्योरा दिया जाए और इसे एनसीएससी तथा एससीएसटी के पोर्टल से भी जोड़ा जाए एवं इसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी संसदीय समिति के साथ साझा किया जाए। राष्ट्रीय स्तर का ऐसा पोर्टल पारदर्शिता लाने तथा इस अधिनियम के तहत दर्ज किये गये मामलों के शीघ्र तथा समुचित निपटान में सहायता प्रदान कर सकता है। समिति यह चाहती है कि उसे संसद द्वारा पारित तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये अत्याचार निवारण अधिनियम के अनुसरण में सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं से अवगत कराया जाए

**सरकार का उत्तर**

2.6 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय उपलब्ध कराने और अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे 31.01.1990 को लागू किया गया। पीओए अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

2.अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 26.01.2016 से प्रभावी हो गया है। संशोधन विस्तृत रूप से अत्याचार के विभिन्न नए अपराधों को शामिल करने से संबंधित है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, को पूर्व में निर्धारित कुछ अपराधों को पुन: परिभाषित करने तथा इनमें विस्तार करने के अलावा पीओए अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करना ताकि मामलों का त्वरित और शीघ्र निपटान किया जा सके, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति और यथा संभव, आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 माह के भीतर मामले का विचारण पूर्ण करना, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर अध्याय जोड़ना शामिल है। पीओए अधिनियम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है, और धारा 18 के पश्चात धारा 18क अन्तःस्थापित की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

"18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ,

(क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच अपेक्षित नहीं होगी; या

(ख) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है तथा इस अधिनियम अथवा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त कार्यविधि से भिन्न कोई कार्यविधि लागू नहीं होगी।

(2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश के होने पर भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत का राजपत्र, असाधारण दिनांक 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह दिनांक 20.08.2018 से लागू है।

(3.1) पीओए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) नियमावली, 1995 को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 14.04.2016 से लागू हो गई है। संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के 47 अपराधों के लिए राहत धनराशि की व्यवस्था, राहत धनराशि के भुगतान की चरणबद्धता का युक्तिकरण, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए राहत धनराशि को 85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के बीच तक बढ़ाना, सात दिवस के भीतर अनुमत राहत धनराशि का भुगतान, तफ्तीश पूरी करना और साठ दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना ताकि समय पर अभियोजन आरंभ किया जा सके तथा राज्य, जिला तथा उप-खंड स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में न्याय प्रदायगी के लिए पीड़तों और गवाहों के अधिकार तथा पात्रता के लिए योजना की आवधिक समीक्षा से संबंधित हैं।

(3.2) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 द्वारा पीओए नियमावली में आगे संशोधन किया गया है और इसे 27.06.2018 की अधिसूचना के तहत भारत का राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 377, क्रम सं. 44, कॉलम (2)), तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 326ख, क्रम सं.24, कॉलम (2)), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी

समिति(एसएलवीएमसी) की 25 सदस्यों की सीमा को समाप्त करना (पीओए नियमावली का नियम 16 (1)), किसी अन्य विधि के अंतर्गत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना, संपत्ति को क्षति के मामले में राहत का प्रावधान से संबंधित है।

(4.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः कार्यान्वयन करने, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने, जागरूकता पैदा करने, एक सतत प्रक्रिया के रूप में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और दोष मुक्ति में समाप्त मामलों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखता रहा है। पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली को संशोधित करने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 13.05.2016 के अ.शा. पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनों से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन का संवर्धन करें ताकि संशोधित उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित उपबंधों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करें और पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को यथा संशोधित पीओए अधिनियम एवं पीओए नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुग्राही बनाए। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 19.05.2016 के अपने अ.शा. पत्र में यह उल्लेख किया है कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस अधिनियम एवं नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण जिन विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है।

(5.) सभी मामलों को सूचीबद्ध करने, उनकी प्रगति, अंतिम परिणाम और इसे एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टल से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल के निर्माण के संबंध में, यह उल्लेख किया जाए कि केंद्र स्तर पर, भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियमावली 1961 के अनुसार पीओए अधिनियम के तहत अजा, अजजा के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक अपराधों के संबंध में जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को सौंपी

गई है। पीओए अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनआरसीबी), गृह मंत्रालय द्वारा भी तैयार किए जाते हैं। इस प्रकार, गृह मंत्रालय को ऐसा राष्ट्रीय पोर्टल बनाने की व्यवहार्यता और एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टलों के साथ इसे जोड़ने पर विचार करना है, साथ ही यह भी ध्यान में रखना है कि सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' भारत के संविधान के राज्य (सूची- II) के विषय हैं और राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के खिलाफ अपराधों सहित अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी अपराधों की रोकथाम, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

**<u>सरकार का अद्यतन उत्तर</u>**

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) अधिनियम, 1989 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध अत्याचारों को रोकने, ऐसे अपराधों के विचारण हेतु विशेष न्यायालय उपलब्ध कराने और अत्याचार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने तथा इससे सम्बद्ध अथवा इसके लिए प्रासंगिक मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था और इसे 31.01.1990 को लागू किया गया। पीओए अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है और इसके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

2. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से, पीओए अधिनियम को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित किया गया है और यह दिनांक 26.01.2016 से प्रभावी हो गया है। संशोधन विस्तृत रूप से अत्याचार के विभिन्न नए अपराधों को शामिल करने से संबंधित है तथा भारतीय दण्ड संहिता के अपराधों जिनमें 10 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, को पूर्व में निर्धारित कुछ अपराधों को पुन: परिभाषित करने तथा इनमें विस्तार करने के अलावा पीओए अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के रूप में शामिल किया गया है। अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना और पीओए अधिनियम के अंतर्गत अनन्य रूप से अपराधों के विचारण के लिए अनन्य विशेष लोक अभियोजकों का विनिर्देशन करना ताकि मामलों का त्वरित और शीघ्र निपटान किया जा सके, अपराध का सीधे संज्ञान लेने के लिए विशेष न्यायालयों तथा अनन्य विशेष न्यायालयों की शक्ति और यथा संभव, आरोप पत्र दाखिल करने की तिथि से 2 माह के भीतर मामले का विचारण पूर्ण करना, 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकार' पर अध्याय जोड़ना शामिल है। पीओए अधिनियम में अनुसूचित जाति और

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 के द्वारा आगे संशोधन किया गया है, और धारा 18 के पश्चात धारा 18क अन्तःस्थापित की गई है जो निम्नानुसार पठित है :-

"18क. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ— (क) किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जांच अपेक्षित नहीं होगी; या (ख) किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी, यदि आवश्यक हो, के लिए कोई अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया गया है तथा इस अधिनियम अथवा संहिता के अंतर्गत प्रदत्त कार्यविधि से भिन्न कोई कार्यविधि लागू नहीं होगी। (2) किसी न्यायालय के किसी निर्णय अथवा आदेश के होने पर भी, संहिता की धारा 438 के उपबंध इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 को भारत का राजपत्र, असाधारण में दिनांक 17.08.2018 को अधिसूचित किया गया था और यह 20.08.2018 से लागू है। 3.1 पीओए अधिनियम की धारा 23 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) (पीओए) नियमावली, 1995 को भी अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2016 द्वारा संशोधित कर दिया गया है और यह दिनांक 14.04.2016 से लागू हो गई है। संशोधन मोटे तौर पर अत्याचारों के 47 अपराधों के लिए राहत धनराशि की व्यवस्था, राहत धनराशि के भुगतान की चरणबद्धता का युक्तिकरण, अपराध के स्वरूप पर निर्भर करते हुए राहत धनराशि को 85,000/- रुपए से 8,25,000/- रुपए के बीच तक बढ़ाना, सात दिवस के भीतर अनुमत राहत धनराशि का भुगतान, तफ्तीश पूरी करना और साठ दिन के भीतर आरोप-पत्र दाखिल करना ताकि समय पर अभियोजन आरंभ किया जा सके तथा राज्य, जिला तथा उप-खंड स्तरीय सतर्कता और निगरानी समितियों द्वारा अपनी बैठकों में न्याय प्रदायगी के लिए पीड़तों और गवाहों के अधिकार तथा पात्रता के लिए योजना की आवधिक समीक्षा से संबंधित हैं। 397993/2022/एससीडी-VI 819 3.2 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियमावली, 2018 द्वारा पीओए नियमावली में आगे संशोधन किया गया है और इसे 27.06.2018 की अधिसूचना के तहत भारत का राजपत्र, असाधारण में अधिसूचित किया गया है। यह संशोधन मुख्यत: अप्राकृतिक अपराधों के पीड़ितों को राहत (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 377, क्रम सं. 44, कॉलम (2)), तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना (पीओए नियमावली की अनुसूचित के अनुबंध-I में आईपीसी 326ख, क्रम सं. 24, कॉलम (2)), राज्य स्तरीय सतर्कता और निगरानी समिति की 25 सदस्यों की सीमा को समाप्त करना (पीओए नियमावली का नियम 16 (1)), किसी अन्य विधि के अंतर्गत मुआवजे के दावे के किसी अन्य अधिकार के अतिरिक्त मृत्यु, चोट, बलात्कार, सामूहिक

बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, तेजाब फेककर गंभीर रूप से घायल करना, संपत्ति को क्षति के मामले में राहत का प्रावधान से संबंधित है। 4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पीओए अधिनियम के उपबंधों का अक्षरशः कार्यान्वयन करने, मामलों का तेजी से निपटान करने के लिए अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना करने, पुलिस अधिकारियों एवं अन्य संबंधित अधिकारियों का सुग्राहीकरण करने, जागरूकता पैदा करने, एक सतत प्रक्रिया के रूप में अत्याचार प्रवण क्षेत्रों की पहचान करने और दोष मुक्ति में समाप्त मामलों की समीक्षा करने के लिए पत्र लिखता रहा है। पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली को संशोधित करने के बाद, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों को संबोधित अपने दिनांक 13.05.2016 के अ.शा. पत्र में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख किया था कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनो से राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने अवसंरचनात्मक ढांचे और मानव संसाधन का संवर्धन करें ताकि संशोधित उपबंधों का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि वे संशोधित उपबंधों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करें और पुलिस एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को यथा संशोधित पीओए अधिनियम एवं पीओए नियमावली के प्रभावी कार्यान्वयन के संबंध में सुग्राही बनाए। सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को संबोधित दिनांक 19.05.2016 के अपने अ.शा. पत्र में यह उल्लेख किया है कि पीओए अधिनियम और पीओए नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण, इन कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रति राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी बढ़ गई है और इस अधिनियम एवं नियमावली में किए गए संशोधनों के कारण जिन विशिष्ट मुद्दों पर कार्रवाई की जानी है, उन पर संबंधित विभागों द्वारा तत्काल कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया गया है। 5. संसदीय समिति की सिफारिश पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया गया है ताकि अजा और अजजा के सदस्यों के विरूद्ध अस्पृश्यता और अत्याचारों के अपराधों पर नियंत्रण लगाने के उपायों और सुझावों पर प्रभावी समन्वय हो सके ओर पीसीआर अधिनियम, 1955 और अजा/अजजा (पीओए) अधिनियम, 1989 का प्रभावी कार्यान्वयन हो सके। समिति ने अभी तक छब्बीस बैठकें आयोजित की हैं जिसमें अधिनियमों के कार्यान्वयन के साथ-साथ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीमों के बारे में समीक्षा की गई थी। 6. सभी मामलों की सूची बनाने, उनकी प्रगति और अंतिम निष्कर्ष तथा इसे एनसीएससी, एनसीएसटी पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल बनाने के संबंध में यह उल्लेख किया जाता है कि

केन्द्रीय स्तर पर भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अनुसार अजा, अजजा सहित अजा/अजजा (पीओए) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत शामिल सभी लोगों के विरूद्ध आपराधिक अपराधों से संबंधित जवाबदेही का कार्य गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। पीओए के अंतर्गत मामलों से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किए जाते हैं इस प्रकार गृह मंत्रालय को इस प्रकार के राष्ट्रीय पोर्टल को तैयार करने और इसे एनसीएससी, एनसीएसटी के पोर्टल के साथ जोड़ने की व्यवहार्यता और इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि 'पुलिस' और "व्यवस्था" भारत का संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची-II) के अंतर्गत राज्य का विषय है और राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी अपराधों के निवारण, पहचान, पंजीयन और जांच तथा इसके दंडीकरण के लिए प्राथमिक रूप से जवाबदेह है और इसमें अजा और अजजा के सदस्यों के विरूद्ध अपराध भी शामिल हैं। तथापि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने अजा और अजजा के सदस्यों पर होने वाले अत्याचारों के निवारण के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) का शुभारंभ करने की पहल की है। यह शिकायत समाधान और समय पर निगरानी के लिए एक पहल है। यह एक वेब-आधारित स्वयं-सेवा पोर्टल है जिसमें शिकायतों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के समाधान अधिकारी तक स्वत: पहुंचाने की विशेषता है। एनएचएए संपूर्ण देश में टोल-फ्री नंबर '14566' पर उपलब्ध है। हेल्पलाइन का उद्देश्य भेदभाव की समाप्ति और सुरक्षा उपलब्ध कराने के लक्ष्य से बनाए गए कानूनों के प्रावधानों के प्रति जागरूता उत्पन्न करना है।

## समिति की टिप्पणी

**4.12 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.16 देखें।**

## सिफारिश संख्या 9

4.13 समिति ने सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा विभिन्न सरकारी, सहायता-प्राप्त संस्थानों में पदोन्नतियों में आरक्षण के मुद्दे का व्यापक स्तर पर आकलन किया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से इस संबंध में प्राप्त आंकड़ों से यह दर्शाई देता है कि सरकार में उच्च पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत ही निराशाजनक है। मार्च, 2013 में "भारत सरकार के वरिष्ठ पदों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की समीक्षा" विषय के संबंध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

के 26वें की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण के समय से ही स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। समिति ने प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की कि नौकरशाही के उच्च स्तरों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व काफी निराशाजनक था। समिति ने इस तथ्य पर भी चिंता व्यक्त की थी कि बड़ी मुश्किल से ही अनुसूचित जाति का कोई अधिकारी भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी कार्यालय में सचिव के पद पर था। समिति ने यह टिप्पणी की कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आरक्षण नीति को शब्दशः और भावतः कार्यान्वित करवाने में गंभीर नहीं था। समिति ने इस संबंध में संक्षेप में यह टिप्पणी कीः "यद्यपि इसे संविधान के अनुच्छेद 16 (4क) में नियत उपबंधों के अनुसार समर्थकारी उपबंध के रूप में अंतर्विष्ट किया गया है, फिर भी इसे समर्थकारी बनाने की जिम्मेदारी डीओपीटी पर है।" समिति ने आगे यह सिफारिश की कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को योग्यता आदि पर नियुक्ति तथा पदोन्नति सहित आरक्षण तथा पदोन्नति हेतु केंद्रीय स्तर पर एकत्रित आकड़ों का रख-रखाव करना चाहिये ताकि प्रत्येक राज्य आसानी से यह सिद्ध कर सके कि क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व मिला है अथवा नहीं।

**सरकार का उत्तर**

4.14 डीओपीटी ने दिनांक 22.08.2019 के अपने का.ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) के तहत यह बताया है कि इस विषय की जांच की जा रही है और संबंधित कार्यालयों से निविष्टियां/टिप्पणियां मांगी गई हैं। केंद्र सरकार के पदों एवं सेवाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की नियुक्ति एवं प्रतिनिधित्व के संबंध में आंकड़ों का अनुरक्षण डीओपीटी द्वारा किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार, समूह क के कुल 84705 पदों में से समूह क के पदों/सेवाओं में अजा एवं अजजा का प्रतिनिधित्व क्रमशः 11333 एवं 5013 है।

**सरकार का अद्यतन उत्तर**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.15 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.19 देखें।**

**सिफारिश संख्या 11**

4.16 भारत सरकार द्वारा निर्देशों तथा कार्यकारी आदेशों के माध्यम से तथा न कि विधान के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षणों का उपबंध है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा गृह मंत्रालय दवारा बनाई गई आरक्षण संबंधी योजना मूलतः भारत सरकार के अंतर्गत सेवाओं पर मान्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा उद्यमों के अंतर्गत सेवाओं में आरक्षण क्रमशः वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये पृथक निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। यहां पर अनेक अन्य संस्थापन हैं जो या तो सांविधिक अथवा गैर-सांविधिक है जहां कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से आरक्षण दिये जाते हैं।

देश में अनुसूचित जातियों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य के साथ संविधान में ये सभी प्रावधान किये गये हैं। स्वतंत्र भारत के 71 वर्षों का इतिहास तथा इसकी प्रगति से यह सिद्ध होता है कि इन प्रावधानों से सरकारी संगठनों में पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। प्रावधानों के कार्यान्वयन की सीमा प्रत्येक राज्य में भिन्न है। सेवा संबंधी सुरक्षापायों तथा प्रावधानों ने देश में अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह समूह जो काफी सतर्क तथा सक्रिय थे इन प्रावधानों से लाभान्वित हुए हैं। पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व में सुधार करने हेतु सरकार के अंतर्गत पदों तथा सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण से संबंधित एक विधेयक पारित करने की पुरजोर तथा तत्काल आवश्यकता है ताकि नीति के कार्यान्वयन में एकरूपता लाई जा सके तथा कार्यान्वयन न करने वाले संगठनों तथा व्यक्तियों के विरूद्ध दण्डात्मक उपाय किये जा सके।

विभिन्न केंद्रीय/राज्य/सरकारी कार्यालयों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में विभिन्न समीक्षा बैठकों के दौरान समिति के अनुभव तथा सुनवाई के दौरान यह उजागर होता है कि विधायी उपायों जो दोषियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही हेतु उपबंध द्वारा निवारक के रूप में कार्य कर सकते हैं की अनुपस्थिति में आरक्षण का ईमानदारी से अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के मामले में विधान को बनाने की मांग को विभिन्न एजेंसियों द्वारा भी समय-समय पर उठाया गया है।

अ.जा. और अ.ज.जा. तथा अ.पि.व. (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक 2004 आयोग की राय पर विचार किए बिना दिनांक 21.12.2004 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया। आयोग ने

इस संबंध में अपने विचार विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के सभापति और राज्य सभा के समक्ष भी व्यक्त कर दिए हैं। इस विधेयक को पारित करने पर अभी तक विचार नहीं किया गया है। अतः समिति पुरज़ोर सिफारिश करती है कि आरक्षण नीति का कार्यान्वयन प्रभावी ढंग से करने के लिए संसद द्वारा अधिनियमित संविधि के अंतर्गत आरक्षण नीति बनाए जाने की तत्काल आवश्यकता है।

**सरकार का उत्तर**

4.17 डीओपीटी ने अपने दिनांक 22.08.2019 के का.ज्ञा. सं. 41034/1/2019-स्था. (आरक्षण) के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय ने "इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ" नामक मामले में दिए गए अपने निर्णय में यह माना है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति पर कार्यकारी निर्देश कानून के अनुसार हैं।

2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 को राज्य सभा में दिनांक 22.12.2004 को पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक के जांच हेतु कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय मंत्रालय संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। दिनांक 29.06.2005 को स्थायी समिति की प्रतिवेदन प्राप्त होने पर समिति की सिफारिशों पर विचार करने हेतु तत्कालीन विदेश मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह (पीओएम) गठित किया गया। मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने समिति की सिफारिशों पर विचार किया और यह निर्णय लिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण), विधेयक, 2004 को वापस लिया जाए और एक नया विधेयक जिसमें केवल अनुसूचित जातियों (अजा) एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधान हो, संसद में पुरःस्थापित किया जाए।

3. तद्नुसार, दिनांक 22.12.2008 को आरक्षण विधेयक, 2004 को वापस ले लिया गया और "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2008" नामक एक नया विधेयक राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था। इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा दिनांक 23.12.2008 को पारित किया गया था परंतु 14वीं लोकसभा में इस पर चर्चा नहीं की जा सकी और लोकसभा भंग होने के पश्चात यह विधेयक व्यपगत हो गया।

4. पदोन्नति में आरक्षण में "स्वयं प्रतिभा" की नीति सहित, अजा/अजजा के लिए पदोन्नति में आरक्षण की नीति से संबंधित मामले अभी माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं। "अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पदों एवं सेवाओं में आरक्षण) विधेयक" में यह प्रस्ताव किया गया था कि इस संबंध में जारी किए गए कार्यालय ज्ञापनों/कार्यकारी निर्देशों को सांविधिक समर्थन मिलेगा। तथापि, माननीय उच्चतम न्यायालय में इन मामलों के अभी तक लंबित होने के तथ्य के आलोक में न्यायालय में लंबित इन मामलों पर निर्णय आने तक प्रतीक्षा करना समुचित होगा ताकि द्विरूपीय कार्यालय ज्ञापन यथा "पदोन्नति में आरक्षण" एवं "स्वयं प्रतिभा पदोन्नति" पर कार्यालय ज्ञापन जिसे माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा निष्प्रभावी कर दिया गया था की स्थिति स्पष्ट हो सके ताकि यह विधेयक विधिक बाधाओं से मुक्त हो सके।

**सरकार का अद्यतन उत्तर**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.18 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.22 देखें।**

**सिफारिश संख्या 13**

4.19 समिति ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और स्वायत्त निकायों के साथ परस्पर चर्चा के दौरान बताया कि समूह ग और घ के अधिकांश पदों को निजी ठेकेदारों को आउटसोर्स कर दिया गया है जहां आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जाता है। संसद को प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रतिवेदनों में समिति की स्पष्ट और पुरजोर सिफारिशे हैं कि निजी एजेंसियों को आउटसोर्स किए गए कार्यों के मामले में, 'संविदा' के उपबंधों में एक खण्ड हो ताकि अ.जा. और अ.ज.जा. को निर्धारित आरक्षण मुहैया कराके उनका यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। हालांकि इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। समिति का दृढ़ मत है कि सांविधिक उपबंधों के अभाव में, सरकार संगठन संविदात्मक/आउटसोर्स किये गये कार्य में आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। अतः समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि सरकार आउटसोर्स किये गये कार्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण के समर्थन से सांविधिक संरक्षण मुहैया कराए।

**सरकार का उत्तर**

4.20 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 22.03.2019 के का.ज्ञा. संख्या एस-11013/01/2019-एलडब्ल्यू (ए) में कहा है कि केंद्र सरकार कामगारों को, डीओपीटी जो कि इस मामले में नोडल विभाग है, द्वारा तैयार की गई नीतियों/दिशानिर्देशों के आधार पर नियमित, अस्थाई, तदर्थ, आकस्मिक, दिहाडी, संविदा, बाह्य स्त्रोत आधारित, संविदा के आधार पर काम पर रखती है। अस्थाई नियुक्तियों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर एक ऐसा ही निर्देश हाल ही में डीओपीटी के दिनांक 15 मई, 2018 के कार्यालय ज्ञापन सं 36036/3/2018-स्था.(आरक्षण) (अनुबंध-तीन) में यह दोहराया गया है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं में नियुक्तियों के संदर्भ में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ऐसी अस्थाई नियुक्तियों हेतु आरक्षण होगा जो कि 45 दिवस या अधिक अवधि के लिये है।

2. यह बताया गया है कि ठेका श्रम (विनिमयन और उत्सादन) अधिनियम,1970 में संविदा आधार पर कामगारों की नियुक्ति के लिये आरक्षण हेतु किसी प्रावधान की परिकल्पना नहीं की गई है।

**सरकार का अद्यतन उत्तर**

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने आगे की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं दी है।

**समिति की टिप्पणी**

**4.21 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.25 देखें।**

**सिफारिश संख्या 15**

4.22 डीओपीटी ने दिनांक 5 सितम्बर, 2008 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या I-11019/6/2008 के द्वारा सभी संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे एक वर्ष के भीतर अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सेवाओं के संबंध में संवर्ग समीक्षाएं करें। समिति आश्चर्यचकित है कि संवर्ग समीक्षा करने के डीओपीटी के ऐसे स्पष्ट आदेश के बावजूद, विगत 30 वर्षों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और एनसीएससी के संयुक्त संवर्ग की समीक्षा नहीं की गई है। परिणामस्वरूप एनसीएससी में कार्यरत समूह ख और ग के अधिकारियों का मनोबल पदोन्नति का कोई मार्ग न होने से गिरकर बहुत कम रह गया है। समिति मंत्रालय के इस कृत्य की घोर भर्त्सना करती है और यह सिफारिश करती है कि एनसीएससी में कर्मचारी के सभी समूहों की संवर्ग समीक्षा तत्काल की जाए और उनके लिए पदोन्नति/करियर प्रगति के मार्ग खोले जाएं।

## सरकार का उत्तर

4.23 संयुक्त संवर्ग पदों की संवर्ग समीक्षा के संबंध में, इस विभाग के दिनांक 17.07.2018 के पत्र द्वारा एनसीएससी से आयोग के कामकाज पर एसआईयू अध्ययन किए जाने के लिए औचित्य के साथ सविस्तार प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया था। तत्पश्चात, आज तक एनसीएससी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग द्वारा एनसीएससी में सभी पदों की संवर्ग समीक्षा के लिये प्रस्ताव की जांच, कार्य अध्ययन संबंधी प्रतिवेदन के प्राप्त होने के बाद की जाएगी।

## सरकार का अद्यतन उत्तर

एनसीएससी ने वर्ष 2018 से संयुक्त संवर्ग पदों की संवर्ग समीक्षा के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी है। हालांकि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी समिति से वर्तमान संचार के उत्तर में, आयोग ने अब अपने पत्र संख्या एनसीएससी-प्रशा.013/2/2022-यूए-(प्रशासन), दिनांक-04.10.2022 के माध्यम से यह कहा है कि एमएसजेई और एनसीएससी के संयुक्त संवर्ग पदों की संवर्ग समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है। एमएसजेई के साथ इस पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है।

## समिति की टिप्पणी

**4.24 कृपया अध्याय-एक का पैरा संख्या 1.28 देखें।**

## अध्याय पाँच

## सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

- शून्य -

डॉ.( प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
सभापति,
अनुसूचित जातियों तथा
अनुसूचित जनजातियों के कल्याण
संबंधी समिति

नई दिल्ली,
२५ मार्च, 2023
४ चैत्र, 1945 (शक)

परिशिष्ट-एक

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES
(2022-2023)

(SEVENTEENTH LOK SABHA)

EIGHTEENTH SITTING
(23.03.2023)

MINUTES

The Committee sat from 1000 hrs. to 1100 hrs. in Committee Room No. 53, first floor, Parliament House , New Delhi-110001

PRESENT
Shri Kirit Premjibhai Solanki - Chairperson

MEMBERS

LOK SABHA

2. Shri Girish Chandra
3. Shri Guman Singh Damor
4. Shri Tapir Gao
5. Shri Rattan Lal Kataria
6 Shri Chhedi Paswan
7. Smt. Sandhya Ray
8. Shri Jagannath Sarkar
9. Shri Ajay Tamta

RAJYA SABHA

1. Shri Abir Ranjan Biswas
2. Shri Kamakhya Prasad Tasa

SECRETARIAT

1 Shri D.R. Shekhar, Joint Secretary
2 SHri P.C. Choulda, Director
3 Shri. Mohan Arumala, Under Secretary

At the outset, the Chairperson welcomed the Members of the Committee. The Committee then considered the following draft report(s):

i. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Thirtieth Report (Sixteenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Examination of Annual Reports of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) presented under Article 338(5)(d) of the Constitution of India and the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Government".

ii. "Review of Functioning of National Scheduled Castes Finance and Development Corporation (NSFDC)."

iii. Action taken by the Government on the recommendations contained in the Seventeenth Report (Seventeenth Lok Sabha) of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the subject "Role of autonomous bodies/educational Institutions including Central Universities,

Engineering Colleges, IIMs, IITs, Medical Institutes etc. in socio-economic development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with special reference to pre-matric/post-matric scholarships in Navodaya Vidyalayas/Kendriya Vidyalayas."

2. After due consideration, the Committee adopted the aforementioned Report(s) without any modification. The Committee also authorized the Chairperson to present the Report to both the Houses of Parliament during the ongoing Session of the Parliament.

The sitting of the Committee then adjourned.

परिशिष्ट –दो

(प्राक्कथन का पैरा **4** देखिए)

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विश्लेषण।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सिफारिशों की कुल संख्या | 17 |
| 2. | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया गया है (क्र. सं. 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16 और 17)<br>कुल का प्रतिशत | 09<br>52.94% |
| 3. | सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्रवाई नहीं करना चाहती (क्र. सं. 4, 10 और 13)<br>कुल का प्रतिशत | 03<br>17.64% |
| 4. | सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए है और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (क्र. सं. 1, 2, 3, 11 और 15)<br>कुल का प्रतिशत | 05<br>29.42% |
| 5. | सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में अंतिम उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (शून्य)<br>कुल का प्रतिशत | शून्य<br>शून्य |